प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

आदेश हेतु सुरक्षित किया :17.06.2025

आदेश पारित किया गया :01.07.2025

रिट याचिका सेवा सं 5217/2019

1 – पी. गिलक राव पिता स्वर्गीय पी. किस्तैया ,53 वर्ष , प्रधान शिक्षक, सरकारी माध्यमिक विद्यालय मंजीगुडा, जिला दक्षिण बस्तर जगदलपुर, निवासी वर्गिस कॉलोनी, गुरुगोविंद सिंह वार्ड गोंडवाना, भवन, रोड, धरमपुरा, जगदलपुर, जिला दक्षिण बस्तर जदलपुर छत्तीसगढ़।, जिला:बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

2 – रानिवासीश खापर्डे पिता रोशन लाल 45 वर्ष प्रधान शिक्षक, सरकारी माध्यमिक विद्यालय मर्दूम, जिला बस्तर,निवासी गाँव तथा पोस्ट मर्दूम, तहसील लोहंडीगुडा, जिला बस्तर छत्तीसगढ़।, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

3 – श्याम सिंह ताराम पिता ग्वाल राम ताराम 52 वर्ष हेडमास्टर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंडरीपानी, ब्लॉक चरमा, जिला उत्तर बस्तर कांनिवासीर, निवासी ग्राम जिसाकरा, डाकघर तथा ब्लॉक चरमा, जिला उत्तर बस्तर कांनिवासीर छत्तीसगढ़।, जिला:कांकेर, छत्तीसगढ़

4 – संजय ठाकुर पिता बृज लाल ठाकुर, प्रधानाध्यापक, शासकिय हाई प्राइमरी स्कूल भेलवोपदर, जिला पितांडागांव निवासी रोजगरीपारा, पितांडागांव, जिला पितांडागांव छत्तीसगढ़ , जिला:कोंडागांव, छत्तीसगढ़

5 – मदन कुमार सोनेवाड़ा पिता स्वरूप राम सोनेवाड़ा 47 वर्ष हेडमास्टर, शासकिय माध्यमिक विद्यालय बड़ेबेन्द्री, जिला कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़।, जिला:कोंडागांव, छत्तीसगढ़

6 – दिवाकर प्रसाद द्विवेदी पिता जगदीश प्रसाद द्विवेदी , 59 वर्ष हड-मास्टर गवर्नमेंट हाई प्राइमरी स्कूल ओरछा, जिला नारायणपुर, जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़।, जिला:नारायणपुर, छत्तीसगढ़

7 – रतन लाल बघेल पिता बाली राम बघेल लगभग 48 वर्ष निवासी प्रधान-मस्तार वर्तमान में प्रभारी प्राचार्य, गवर्नमेंट हायर पितानिवासींडरी स्कूल फारसगांव, जिला नारायणपुर, बंगलापारा, नारायणपुर, जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़।, जिला:नारायणपुर, छत्तीसगढ़

8 – निर्मल कुमार तिवारी पिता स्वर्गीय रविशंकर तिवारी पिता 47 वर्ष निवासी हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खलेमुर्वेन्द, निवासीशकाल जिला कोंडागांव, मांझीपारा, कांनिवासीर, जिला उत्तर बस्तर कांनिवासीर छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9 – मोहन कुमार पिता स्वर्गीय मंगापति राव ,आयु लगभग 58 वर्ष, हेडमास्टर, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, एम. जी. वार्ड, कांनिवासीर, जिला उत्तर बस्तर कांनिवासीर, शनि मंदिर के पास, महुरबंदपारा, कांनिवासीर, जिला उत्तर बस्तर कांनिवासीर छत्तीसगढ़।, जिला:कांकेर, छत्तीसगढ़

10 – हीरा लाल साहू पिता स्वर्गीय श्रीराम जी साहू 61 वर्ष हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुरुतोआल, ब्लॉक चरमा, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़,तहसील कोंडागांव, छत्तीसगढ़

11 – सुरेश चंद्र श्रीवास्तव पिता स्वर्गीय राजेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, 57 वर्ष, निवासी हेडमास्टर गवर्न्म स्कूल सिंगरभात, जिला उत्तर बस्तर कांनिवासीर निवासी दुर्गा मंदिर के पीछे, कोडभात कांनिवासीर, जिला उत्तर बस्तर कांनिवासीर छत्तीसगढ़, जिला:कांकेर, छत्तीसगढ़

12 – नीलकंठ कुमार शार्दुल पिता सुख दास शार्दुल, 55 वर्ष है–मास्टर, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, जिला कोंडागांव, जिला कोंडागांव, जिला मुख्यालय गीतांजलि स्टेशनरी, मुख्य रोड, कोंडागांव छत्तीसगढ़।, जिला: तहसील और जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़

13 – निर्मल कुमार शार्दुल पिता सुख दास शार्दुल लगभग 52 वर्षीय हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर पितानिवासींडरी, स्कूल, कोंडागांव जिला कोंडागांव, निवासी गीतांजलि, स्टेशनरी, मेन रोड, कोंडागांव, जिला कोंडगांव छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, स्कूल शिक्षा मंत्रालय विभाग, राजधानी परिसर, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2 – निदेशक लोक शिक्षण निदेशालय, इंद्रावती भवन, ब्लॉक–**III,** पहली मंजिल, अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़

3–अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़ (माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 07–05–2025 तथा 09–06–2025 के अनुसार)

---उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं. 4447/2025

1 – जनक राम साहू पिता विश्राम सिंह साहू 60 वर्ष वर्तमान में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोरम, जिला–धमतरी (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप मे पदस्थ

2 – सुनील कुमार महावर पिता बी. एल. महावर 60 वर्ष वर्तमान में सरकारी हाई स्कूल, सोरिदभात, जिला–धमतरी (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप मे पदस्थ

3 – कुमार पितान पिता बिसौहा राम लगभग 60 वर्ष वर्तमान में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, थुहा, ब्लॉक–कुरुद, जिला–धमतरी (सी. जी.) मे व्याख्याता के रूप मे पदस्थ

4 – देवेंद्र कुमार दादर पिता नंद कुमार दादर 61 वर्ष वर्तमान में स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चारारा, ब्लॉक–कुरुद, जिला–धमतरी (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

5 – अनंत कुमार साहू पिता संतुराम साहू 58 वर्ष वर्तमान में स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भाखड़ा, जिला–धमतरी (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

6 – कृष्ण कुमार कंवर पुत्र गंगा राम कंवर पिता 56 वर्ष की आयु में वर्तमान में शासकिय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हसदा संख्या 1, ब्लॉक–मगरलोड, जिला–धमतरी (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

7 – हेमंत द्रिराकर पिता जी. आर. द्रिराकर, 54 वर्ष, वर्तमान में शासकिय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

8 – लेफ्टिनेंट गौकरन साहू,59 वर्षीय वर्तमान में शासकिय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भैसमुंडी, ब्लॉक–मगरलोड, जिला–धमतरी (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

9 – प्रहलाद कुमार ध्रुव पिता राजपाल सिंह ध्रुव 56 वर्ष,वर्तमान में शासकिय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नारी, ब्लॉक–कुरुद, जिला–धमतरी (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

10 – भरत लाल ध्रितलहरे पिता लेफ्टिनेंट सीता राम ध्रितलहरे,58 वर्ष, वर्तमान में शासकिय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भटबेहरा, ब्लॉक–सिमगा, जिला–बलौदा बाजार–भाटपारा (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

11 – प्रेम सिंह दीवान पिता दयानंद सिंह लगभग 61 वर्ष वर्तमान में पी. एम. श्री पिताजेस, भैसमुंडी, ब्लॉक–मगरलोड, जिला–धमतरी (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

12 – सियाराम कुर्रे पिता बिसाहुराम कुर्रे, 59 वर्ष वर्तमान में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

13 – दायमन सिंह नाग पिता जयराम नाग, 57 वर्ष वर्तमान में शासकिय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हसदा सं.01, ब्लॉक–मगरलोड, जिला–धमतरी (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

14 – हृदय राम जुरी पिता घुरौ राम जुरी,59 वर्ष, वर्तमान में शासकिय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आरौत दुबन, जिला–धमतरी (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

15 – मनराखान लाल टंडन पिता सुकालु राम टंडन 60 वर्ष वर्तमान में शासकिय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धनपुरी, ब्लॉक–गुरुर, जिला–बालोद (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

16 – तिलोचन कुमार साहू पिता खेडू राम साहू, 61 वर्ष,वर्तमान में पी. एम. श्री इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, गुरुर, ब्लॉक–गुरुर, जिला–बालोद (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

17 – नंद कुमार मांडवी पिता पुराणिक राम मांडवी,56 वर्ष, वर्तमान में सरकारी हाई स्कूल, ब्लॉक–भानपुरी, जिला–बालोद (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18 – दशरथ राम साहू पिता नोहर सिंह साहू, 60 वर्ष वर्तमान में पी. एम. श्री इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, गुरुर, ब्लॉक–गुरुर, जिला–बालोद (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

19 – देवेंद्र कुमार गौतम पिता इतवारी राम गौत, 59 वर्ष, वर्तमान में सरकारी हाई स्कूल, सुरही, ब्लॉक–नरहरपुर, जिला–कांकेर (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के माध्यम से, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)

2 – लोक शिक्षण निदेशक, इंद्रावती भवन, तीसरी मंजिल, नया रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)

–––उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका सेवा सं 5/2025

1 – अखिलेश कुमार त्रिपाठी पिता श्री हरि प्रसाद त्रिपाठी,49 वर्ष, सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छिंदबहार, प्रखंड दरभा, जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

2 – चंद्र प्रकाश देवांगन पिता स्वर्गीय महादेव प्रसाद देवांगन,58 वर्ष, सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भगत सिंह, ब्लॉक जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

3 – यू धत्मेंद्र पटनायक पिता स्वर्गीय यू. के. आर. पटनायक लगभग 57 वर्ष, गवर्नमेंट मल्टीपर्पस हायर पितामेंडरी स्कूल, जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

4 – रमेश कुमार उपाध्याय पिता श्री पिता पी. उपाध्याय लगभग 56 वर्ष, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आसना, प्रखंड जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

5 – सुनील सिंह पिता रामपाल सिंह 55 वर्ष, सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आसना, प्रखंड जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के माध्यम से, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय, नया रायपुर, जिला।रायपुर छत्तीसगढ़

2 – भारत संघ के माध्यम से प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय **(M.H.R.D)**, शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली

3 – राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एन. सी. टी.) सचिव/अध्यक्ष के द्वारा, जी–7, सेक्टर–10, मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली हेतु पास द्वारका लैंडमार्क–110075

4 – लोक शिक्षण निदेशक, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

5 – लोक निर्देश निदेशालय के उप निदेशक, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

6 – राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एस. सी. आर. टी.) शंकर नगर, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 4077/2025

1 – आनंद कुमार त्रिवेदी पिता भरत भूषण त्रिवेदी लगभग 59 वर्ष व्यवसाय–पितावा, वर्तमान में प्रधान शिक्षक निवासी रूप में पदस्थ निवासी मकान सं 105/2, हरिनगर, सोंडका, खरसिया, जिला रायगढ़ (सी. जी.)

2 – भ्रामर लाल बैरागी पिता दीनबंधु दास, लगभग 61 वर्ष, व्यवसाय वर्तमान में प्रधान शिक्षक के रुप मे पदस्थ,निवासी 54 (1), राम नगर, लैलुंगा, वार्ड संख्या 5, लैलुंगा जिला रायगढ़ (सी. जी.)

3 – मिंनिवासीतन राणा पिता पूर्ण चंद्र राणा 61 वर्ष, वर्तमान में प्रधान शिक्षक के रुप मे पदस्थ, कोटरी दीपा, कुसमुरा, जिला रायगढ़ (सी. जी.)

4 – निराकर चौधरी पिता बालगोविंद चौधरी लगभग 60 वर्ष का व्यवसाय –वर्तमान में प्रधान शिक्षक के रुप मे पदस्थ,निवासी बोइर दीपा, बयांग, कछार, जिला रायगढ़ (सी. जी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य अपने सचिव के द्वारा, विद्यालय शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला–रायपुर (सी. जी.)

2 – निदेशक लोक शिक्षण निदेशालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला–रायपुर (सी. जी.)

----उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 9546/2019

1 – रूप नारायण कुशवाहा पिता स्वर्गीय लक्ष्मण राम कुशवाहा, 54 वर्ष, निवासी गांव गोपालपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ थी।, जिला:सूरजपुर, छत्तीसगढ़

2 – बाल कृष्ण साहू पिता स्वर्गीय अलीराम साहू, 54 वर्ष,निवासी गाँव मडकपारा, सूरजपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ है।, जिला:सूरजपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3 – धनंजय कुमार सिंह पिता रामप्रसाद सिंह 46 वर्ष निवासी गाँव–गंगापुर, पोस्ट तथा तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ है।, जिला:सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़

4 – धर्मेंद्र कुमार पिता बिगन राम,46 वर्ष, निवासी गाँव–भेदिया, रेवती निवासी बाद, तहसील–प्रतापपुर, सूरजपुर छत्तीसगढ़।, जिला:सूरजपुर, छत्तीसगढ़

5 – सर्वेश कुमार दुबे पिता कृष्ण मुरारी दुबे, 52 वर्ष,निवासी गाँव निवासीनरा, पोस्ट–निवासीनरा, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ है।, जिला:सूरजपुर, छत्तीसगढ़

6 – केदार नाथ तिवारी पिता गैविनाथ तिवारी, 56 वर्ष,निवासी गाँव धूमाडीह, पोस्ट गोविंदपुर, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

7 – मनोज कुमार पटेल पिता रामप्रताप पटेल 51 वर्ष, निवासी गाँव सवितापुर, तहसील वद्रफनगर, जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़

8 – राजू काशीपुरी पिता बिगन राम, 48 वर्ष, निवासी गाँव ढोंढा, पोस्ट बर्तिकला, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

9 – मुन्नीलाल गुप्ता पिता चंपालाल गुप्ता 49 वर्ष, निवासी गाँव कोटेया, पोस्ट कोटेया, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

10 – शेख मुरब्बी पिता अब्दुल रहीम, 56 वर्ष, निवासी गाँव–सोनपुर, पोस्ट–बंजा, तहसील भैय्याथन, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

11 – मोहम्मद.फरीद अंसारी पिता रहमत अली,60 वर्ष,निवासी गाँव ज़ूर, पोस्ट–बंजा, तहसील भैय्याथन, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

12 – अज़ीज़ुल रहमान अंसारी पिता अली हसन, 56 वर्ष, निवासी गाँव ज़ूर, पोस्ट बंजा, तहसील भैय्याथन, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

13 – प्राण सिंह पिता स्वर्गीय धर्मदास, 56 वर्ष, निवासी ग्राम भानवराही, गंगोही निवासी बाद, तहसील भैय्याथन, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

14 – सुखलाल गुप्ता पिता स्वर्गीय वंशरोपन गुप्ता, 56 वर्ष,निवासी गाँव–जराही, पोस्ट–जराही, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

15 – ओम प्रकाश द्विवेदी पिता गोमती प्रसाद द्विवेदी, 61 वर्ष,निवासी गाँव दुखुई, पोस्ट मंगावा, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

16 – द्वारिका प्रसाद गुप्ता पिता राजप्रीत साओ 57 वर्ष, निवासी गाँव मानपुर, पोस्ट–धरमपुर, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

17 – दुर्योधन प्रसाद गुप्ता पिता राजप्रीत साओ, 56 वर्ष,निवासी गाँव हरिहरपुर, पोस्ट–निवासीनरा, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

18 – रतनसाई निवासीशरी पिता बजरंग राम, 59 वर्ष,निवासी गाँव मदननगर, पोस्ट–धरमूर, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19 – विजय कुमार गुप्ता पिता ईश्वर प्रसाद गुप्ता 50 वर्ष, निवासी दारीपारा, पोस्ट–दारीपारा, तहसील भैय्याथन, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

20 – प्रेम सिंह पिता माहेश्वरी सिंह,57 वर्ष, निवासी गाँव कास्निवासीला, पोस्ट साल्का आधिन, तहसील भैय्याथन, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

21 – युगेश्वर प्रसाद गुप्ता पिता संवालिया प्रसाद गुप्ता, 61 वर्ष ,निवासी ग्राम साल्का (आधिन) पोस्ट–साल्का आधिन, तहसील भैय्याथन, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

22 – योग कुमार पिता स्वर्गीय रामनारायण ,49 वर्ष,निवासी गाँव पटना, पोस्ट–पटना, जिला कोरिया छत्तीसगढ़

23 – प्रेमसाई सिंह पिता राम जीवन सिंह, 49 वर्ष,निवासी गाँव बुंदिया, पोस्ट भाटगाँव, तहसील भैय्याथन जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

24 – दिनेश कौशिक पिता सी. डी. शर्मा , 47 वर्ष , निवासी नेहरू पार्क रोड, सूरजपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

25 – बृजलाल सोनवानी पिता स्वर्गीय सुखनंदन राम 57 वर्ष, निवासी बडकापारा, सूरजपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

26 – अब्दुलगनी अंसारी पिता अब्दुल करीम अंसारी, 57 वर्ष, निवासी शास्त्री वार्ड, कादरी मंजिल, मायापुर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़

27 – श्रीराम प्रधान पिता ओधो प्रधान 56 वर्ष , निवासी गाँव भैय्याथन, तहसील भाय्याथन, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

28 – दादू सिंह मरकाम पिता स्वर्गीय शिवनारायण सिंह, 55 वर्ष,निवासी ग्राम रंजना, पोस्ट घरघोरा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़

29 – रामदुलार साहू पिता स्वर्गीय नगीना प्रसाद साहू 56 वर्ष,निवासी गाँव खडगवां, पोस्ट बंजा, भैय्याथन, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

30 – कृष्ण कुमार साहू पिता स्वर्गीय रामशिरोमानी साहू 55 वर्ष, निवासी गाँव दबरीपारा, पोस्ट गंगोही, तहसील भैय्याथन, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

31 – सत्यनारायण मिश्रा पिता स्वर्गीय बाला प्रसाद मिश्रा, 60 वर्ष,निवासी गाँव खोंड, पांडवपारा, जिला कोरिया छत्तीसगढ़

32 – लालका प्रसाद सिंह पिता उजीत सिंह, 49 वर्ष,निवासी गाँव चुंगड़ी, पोस्ट भटगांव, तहसील भैय्याथन जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

33 – संतोष कुमार ठाकुर पिता स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद 58 वर्ष, निवासी भैय्याथन रोड, सूरजपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

34 – मनुएल बेक पिता स्टीफन बेक, 59 वर्ष,निवासी अंबिकापुर, पोस्ट तथा तहसील अंबिकापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

35 – दुलेश्वर प्रसाद राजवाडे पिता श्यामलाल, 55 वर्ष,निवासी गाँव मोंगारा, पोस्ट श्यामनगर, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36 – श्रीमती. दिलकुमारी बड़ा पिता राम प्रसाद,49 वर्ष , निवासी अंबिकापुर, पोस्ट तथा तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़

37 – सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता पिता किशनचंद गुप्ता, 60 वर्ष, निवासी गाँव जननाथपुर, पोस्ट–धरमपुर, तहसील–प्रतापपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

38 – हीराधन राम पिता अमरसाई 57 वर्ष, निवासी गाँव सिंघारा, धरमपुर निवासी बाद, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

39 – शिवबचन सिंह कार्ले पिता स्वर्गीय रामधन सिंह,56 वर्ष, निवासी गांव कातेया, पोस्ट साल्का (अधिन), तहसील भैय्याथन जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

40 – बाबूलाल राजवाड़े पिता गुलसाई 56 वर्ष, निवासी गाँव अनुज नगर, पोस्ट लाटोडी, तहसील तथा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

41–महावीर प्रसाद पैकरा पिता चारकू राम, 47 वर्ष, निवासी गाँव दवाना, दवाना निवासी बाद, तहसील ओडागी, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

42 – पूनम चंद शर्मा पिता स्वर्गीय भागीरथ शर्मा,59 वर्ष,निवासी गाँव–साल्का आधिन, पोस्ट साल्का आधिन, तहसील–भैय्याथन, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

43 – गंगाराम यादव पिता स्वर्गीय रामप्रसाद यादव,58 वर्ष, निवासी गाँव साल्का आधिन, पोस्ट–साल्का आधिन, तहसील भैय्याथन, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

44 – संजय कुमार भारती पिता शिवशंकर राम, 45 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 12, बालगंगाधर तिलक, अंबिकापुर, पोस्ट तथा तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़

45 – दिनेश द्विवेदी पिता तुलसी राम द्विवेदी, 48 वर्ष, निवासी मिश्र गली, वार्ड संख्या 3, सूरजपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

46 – महेश कुमार दोहरे पिता नंदराम दोहरे, 47 वर्ष, निवासी जागीर साइन कॉम्प्लेक्स, कमरा संख्या 2 गुडारीपारा, शिवनंदनपुर, पोस्ट विश्रामपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

47 – हर्ष नारायण शर्मा पिता स्वर्गीय अंबिका प्रसाद शर्मा, 55 वर्ष, निवासी निमार कॉम्प्लेक्स स्कूल सतपाटा, विश्रामपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, पुलिस थाना राखी, नई रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2 – लोक शिक्षा निदेशालय निदेशक के माध्यम से, प्रथम तल सी ब्लॉक, इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका सेवा सं. 2368/2025

1 – पुरुषोत्तम सिंह यादू पिता श्री हिमांचल सिंह यादू,60 वर्ष,निवासी सिंघोरी, फे कार्यालय निवासी पास, वार्ड संख्या 10, बेमेतरा, जिला–बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

2 – सुनील कुमार तिवारी पिता श्री राम कुमार तिवारी, 61 वर्ष,निवासी वार्ड संख्या 8, पंजाबी कंडिका , बेमेतरा निवासी–बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

3 – छेदु सिंह ठाकुर पिता भरत सिंह ठाकुर , 56 वर्ष, निवासी मकान संख्या 50, गाँव लालपुर, मारो, नवागढ़, निवासी–बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – छत्तीसगढ़ राज्य निदेशक के द्वारा, लोक शिक्षा निदेशालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़।

उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका सेवा सं. 1779/2025

1 – आनंद प्रसाद साहू पिता श्री कोडू राम साहू, 56 वर्ष, वर्तमान में सरकारी व्याख्याता के रूप में पदस्थ , बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भमतरी निवासी ग्राम अंगारा पोस्ट दही जिला धमतरी (सी. जी.)

2 – ललित कुमार सिन्हा पुत्र स्वर्गीय श्री भागवत राम सिन्हा पिता 60 वर्ष की आयु में वर्तमान में सरकारी व्याख्याता निवासी रूप में पदस्थ , उच्च माध्यमिक विद्यालय बर्ना जिला–धमतरी (सी. जी.) निवासी आमा तालाब रोड डाकघर वार्ड संख्या 24 धमतरी जिला–धमतरी (सी. जी.)

3 – शेख लाल साहू पिता सोनू राम साहू लगभग 62 वर्ष वर्तमान में सरकारी व्याख्याता के रूप में पदस्थ, शिव सिंह वर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी निवासी समुदायिक भवन के पास रामसागर कंडिका वार्ड संख्या 31 धमतरी जिला–धमतरी (सी. जी.)

4 – मनोहर लाल साहू पिता विश्राम सिंह साहू,61 वर्ष वर्तमान में सरकारी व्याख्याता निवासी रूप में पदस्थ, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवड़ी धमतरी निवासी 127 बाजार चौक देवपुर वार्ड संख्या 08 कंडेल धमतरी (सी. जी.)

5 – कृष्ण राम मरकम पिता नानौ राम मरकम,51 वर्ष, वर्तमान में सरकारी व्याख्याता निवासी रूप में पदस्थ, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रिसगांव नगरी जिला–धमतरी (सी. जी.) निवासी वार्ड सं. 5 पो बेलारबाजार नवगाँव कास नगरी जिला–धमतरी (सी. जी.)

6 – श्रीमती रंभा पारसभद्रे पति सालिक राम पराशभद्रे, 60 वर्ष, वर्तमान में सरकारी व्याख्याता निवासी रूप में पदस्थ, हाई स्कूल कन्हेरा ब्लॉक साजा जिला–बेमेतारा निवासी गंज कंडिका वार्ड संख्या 09 बेमेतारा जिला–बेमेतारा (सी. जी.)

7 – मनहरनलाल मांडवी पिता श्री प्रेम सिंह, 52 वर्ष, वर्तमान में सरकारी व्याख्याता के रूप में पदस्थ, बालको का उच्च माध्यमिक विद्यालय साजा जिला–बेमेतारा निवासी गाँव खमडीह निवासीशतारा बेमेतारा जिला–बेमेतारा (सी. जी.)

8 – अनिल कुमार तिवारी पिता रामजी लाल तिवारी,60 वर्ष, व्याख्याता के रूप में पदस्थ, शासकिय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साजा जिला–बेमेतारा निवासी वार्ड संख्या 08 कोबिया बेमेतारा जिला–बेमेतारा (सी. जी.)

9 – सैयद नजीर अली पिता सैयद हुसैन अली, 61 वर्ष, व्याख्याता निवासी रूप में पदस्थ, शासकिय उच्चतर माध्यमिक आत्मानंद हिंदी माध्यम बेमेतरा जिला–बेमेतरा निवासी मस्जिद गली वार्ड संख्या 21 बेमेतरा (सी. जी.)

––– याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा ,स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (सी. जी.)

2 – छत्तीसगढ़ राज्य ,लोक शिक्षा निदेशालय के निदेशक के द्वारा, इंद्रावती भवन अटल नगर नया रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

–––उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 1718/2021

1 – संजय कुमार वखारिया पिता श्री हरिकिशन दास, 60 वर्ष, हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ, तथा मिडिल स्कूल जैतपुरी, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

2 – अवध राम नेताम पिता श्री राजभान सिंह ,56 वर्ष, हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ, तथा सरकारी मिडिल स्कूल विजयनगर, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

3 – भाग सिंह अग्रवाल पिता श्री कार्तील राम ने पिता 54 वर्ष की आयु में प्रधान शिक्षक (टी) संवर्ग के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल बेंडकुरा, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

4 – केशो राम साहू पिता श्री मेहतार राम 58 वर्ष ,प्रधान शिक्षक (टी) संवर्ग के रूप में पदस्थ, तथा सरकारी मिडिल स्कूल केरगाँव, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

5 – श्रीमती. रुखमणि शर्मा पिता श्री फेरू प्रसाद लगभग 59 वर्ष, हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप मे पदस्थ, मिडिल स्कूल बी. गरियाबंद, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

6 – सतीश वर्मा पिता श्री अमरू प्रसाद 47 वर्ष , हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ,मिडिल स्कूल घुतकुनावपारा, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

7 – कृष्ण कुमार दीवान पिता श्री प्रभुराम 53 वर्ष हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ,मिडिल स्कूल अमेठी, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

8 – शिवमूर्ति सिन्हा पिता श्री हरिलाल,58 वर्ष, प्रधान शिक्षक (टी) संवर्ग के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल चिखलिया, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

9 – मकसूदन घेवारिया पिता श्री कार्तिक राम, 60 वर्ष,प्रधान शिक्षक (टी) संवर्ग के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल आमझार, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

10 – ललित कुमार लाहरे पिता श्री दयराम 51 वर्ष, हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल मरुड़ा, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

11 – नंद कुमार वर्मा पिता श्री भगत राम 59 वर्ष , हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में में पदस्थ, मिडिल स्कूल डाकबंगला गरियाबंद, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

12 – शंकर लाला पाल पिता श्री हरि राम पाल 56 वर्ष प्रधान शिक्षक (टी) संवर्ग के रूप में पदस्थ, पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोकड़ी गरियाबंद, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

13 – शिव प्रसाद वर्मा पिता श्री मोहन लाल वर्मा,60 वर्ष, प्रधान शिक्षक (टी) संवर्ग के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल कोस्मि डी, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

14 – नोहर सिंह वर्मा पिता श्री खुमान सिंह, 61 वर्ष, हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में में पदस्थ माध्यमिक विद्यालय सोहागपुर, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

15 – अयोध्या लाल यादव पिता श्री लखन लाल,56 वर्ष हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल भुंजियामुदा, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

16 – घनश्याम साहू पिता श्री मंगतू राम,50 वर्ष , हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ तथा मिडिल स्कूल पोटिया, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

17 – जोहत राम यादाव पिता श्री मोतीश, 57 वर्ष , प्रधान शिक्षक (टी) संवर्ग के रूप में पदस्थ तथा मिडिल स्कूल काशाबे, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

18 – थानवर राम ठाकुर पुत्र श्री लताल राम, पिता 59 वर्ष की आयु में हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल डुमारबहार, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

19 – ललित कुमार ध्रुव पिता घसीराम 50 वर्ष, हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल हाथबे, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

20 – तेजेश शर्मा पिता श्री शारदा प्रसाद 57 वर्ष, प्रधान शिक्षक (टी) संवर्ग के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल झालखमार, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

21 – रमेश कुमार वर्मा पिता श्री लखन लाल,50 वर्ष , प्रधान शिक्षक (टी) संवर्ग के रूप में पदस्थ तथा मिडिल स्कूल छिंदौला, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22 – कन्हिया सिंह ठाकुर पिता श्री भुखान सिंह 60 वर्ष,हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल खट्टी, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

23 – रामावतार शर्मा पिता श्री राम नारायण शर्मा 57 वर्ष की आयु में हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल दारीपारा, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

24 – विश्वनाथ भारद्वाज पिता श्री थानूराम ने 57 वर्ष, हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल जंजले धावपुर, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

25 – बृज बिहारी वर्मा पिता श्री भुलाउराम 56 वर्ष हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल परगाँव, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

26 – राज कुमार मरकाम पिता श्री तुलसी राम 61 वर्ष हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल हसौदा, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

27 – मोहन लाल चौधरी पिता श्री राम भगत, 54 वर्ष , हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल तेंदूबे, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

28 – भूपेंद्र कुमार ठाकुर पिता श्री भूषण सिंह 57 वर्ष, प्रधान शिक्षक (टी) संवर्ग के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल मालगाँव, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

29 – मनोज कुमार केला पिता श्री बाबूलाल 52 वर्ष, हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप पदस्थ मिडिल स्कूल भाईसतारा, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

30 – श्रीमती. रंजना परिहार पिता श्री भजन सिंह लगभग 52 वर्ष, हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ माध्यमिक विद्यालय जी. गरियाबंद, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

31 – मोतीलाल साहू पिता श्री रामजी साहू 57 वर्ष हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल तोन्हीडाबारी, ब्लॉक छुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

32 – भारतलाल साहू पिता श्री इतवारी राम साहू ,54 वर्ष हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल डेवारी, ब्लॉक छुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

33 – बालमुकुंद सिंह ठाकुर पिता श्री जगमोहन सिंह ठाकुर 56 वर्ष, हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल तालाब, ब्लॉक छुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

34 – पवन कुमार वर्मा पिता श्री तेजनाथ वर्मा 57 वर्ष, हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल दिवानो, ब्लॉक छुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

35 – चौराम देवांगन पिता श्री बिसाहु राम देवांगन 55 वर्ष, प्रधान शिक्षक (टी) संवर्ग के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल नवापारा, ब्लॉक छुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

36 – दिगंबर कुमार यादू पिता श्री लेखराम यादू 56 वर्ष, हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल नवापारा, ब्लॉक छुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

37 – लेखनारायण सोनी पिता श्री हुलासराम सोनी 44 वर्ष हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल खैरजिती, ब्लॉक छुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38 – राजेंद्र कुमार वर्मा पिता बृजलाल वर्मा, 54 वर्ष, हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल कामराज, ब्लॉक छुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

39 – गिरवरलाल पिता श्री रामधर ध्रुव, 52 वर्ष, हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल पक्तिया, ब्लॉक छुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

40 – मिट्ठू राम साहू पिता श्री रतनलाल साहू, 55 वर्ष, हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल दादुरगांव नया, ब्लॉक छुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

41 – ललित कुमार साहू पिता श्री मेहतारू राम 56 वर्ष हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ सरकारी मिडिल स्कूल पथरमोंडा, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

42 – दौवा राम कुंभाकर पिता श्री खेडुराम 59 वर्ष प्रधान शिक्षक (टी) संवर्ग के रूप में पदस्थ माध्यमिक विद्यालय मोहदा, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

43 – मनोज कुमार मेर्शा पिता श्री मेधूलाल 52 वर्ष ,हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल खरता, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

44 – कृष्ण मोहन पटेल पिता श्री दुल्हा राम, 54 वर्ष , प्रधान शिक्षक (टी) संवर्ग के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल बोक्रामुडा, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

45 – श्रीमती. नरगीश कुरैशी पिता श्री गोकुल प्रसाद, 51 वर्ष , प्रधान शिक्षक (टी) संवर्ग के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल इंग्लिश मिड। गरियाबंद, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

46 – प्यारे लाल साहू पिता श्री श्याम लाल,56 वर्ष, हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल कोसुंबुडा, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

47 – लक्ष्मी नारायण शर्मा पिता श्री जे. पी. शर्मा, 56 वर्ष ,प्रधान शिक्षक (टी) संवर्ग के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल कुम्हारपारा गरियाबंद, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

48 – शिव कुमार सरसिहा पिता श्री गैंद राम, 58 वर्ष , हेडमास्टर (टी) कैडर में पदस्थ मिडिल स्कूल मैनपुर–2, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

49 – नंद कुमार वेरम पिता श्री जागेश्वर प्रसाद वर्मा,54 वर्ष, प्रधान शिक्षक (टी) संवर्ग के रूप में पदस्थ माध्यमिक विद्यालय मदनपुर, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

50 – राजकुमार सिन्हा पिता श्री थानवर राम 57 वर्ष हेडमास्टर (टी) कैडर के रूप में पदस्थ मिडिल स्कूल बी गरियाबंद, ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2 – छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण निदेशालय के निदेशक के द्वारा, पहली मंजिल, सी–खंड, इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़

3 – जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4-खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक छुरा जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ 5-खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक गरियाबंद जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 438/2020

1 – लक्ष्मी प्रसाद बरेथ पिता फिर्तुराम बरेथ,52 वर्ष, हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, भोजपुर, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

2 – फत्ते सिंह राथिया पिता उजीत सिंह,54 वर्ष, हेडमास्टर के रूप में पदस्थ , मिडिल स्कूल, बांसजोर, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

3 – ननकिराम बघेल पिता बेनीराम बघेल,53 वर्ष, हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, सोनपुर, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

4 – हिमेश्वर साहू पिता जे. आर. साहू ,55 वर्ष , हेडमास्टर के रूप में पदस्थ,, मिडिल स्कूल, चिकटवानी, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

5 – बिलकम कुजुर पिता बिहानू कुजुर ,53 वर्ष, हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, धोड़गाँव, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

6 – देवलाल कुर्रे पिता रामप्रसाद कुर्रे, 52 वर्ष , हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, रूपुंगा, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

7 – तरुण कुमार चंद्र पिता स्वर्गीय जुगला राम चंद्र, 55 वर्ष , हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, कुडेकेला, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

8 – महेन्द्र राम राथिया पिता स्वर्गीय श्री अमर साई राथिया 53 वर्ष ,हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, कताईपाली, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

9 – सिंधु साई पैकरा पिता जगरनाथ साई, 56 वर्ष, हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, राजकोट, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

10 – नीलांबर प्रसाद बिसी पिता स्वर्गीय श्री उद्धव राम बिसी,52 वर्ष, हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, क्रोंधा, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

11 – छोटेलाल खन्ना पिता श्री सुधारम खन्ना, 55 वर्ष, हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, जब्बा, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

12 – कन्हैया पिता भरत सिंह ठाकुर, 59 वर्ष की आयु में हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, दारीडीह, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

13 – नीलांबर साओ पिता डी. आर. साओ,59 वर्ष , हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, ओंगाना, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

14 – विजय सिंह पिता देवनारायण सिंह,59 वर्ष, हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, लिप्टी, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15 – बुद्धनाथ राम पिता स्वर्गीय महेश बारैक, 57 वर्ष हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, तालगांव, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

16 – हिमित कुमार राथिया पिता मणिराम राथिया, 51 वर्ष, हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, पाखनाकोट, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

17 – मनोहर साई पिता धरम सिंह 55 वर्ष,हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, जोगियापाड़ा, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

18 – सबल साई पिता श्री मंगना साई, 60 वर्ष, हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, राजकोट, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

19 – देवनाथ, आयु लगभग 57 वर्ष, मिडिल स्कूल, जमरगा, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ में प्रधानाध्यापक के रूप में पदस्थ,

20 – श्रीमती आशा कौशिक पिता दादन कुमार कौशिक लगभग 52 वर्ष, हेडमास्टर के रूप में पदस्थ, मिडिल स्कूल, दुग्गुपारा, ब्लॉक धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – लोक निर्देश निदेशालय, प्रथम तल सी–ब्लॉक, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़

----उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 1302/2025

1 – कोमल प्रसाद साहू पिता श्री अमर नाथ साहू, 59 वर्ष, वर्तमान में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिवनारायण, ब्लॉक नवागढ़, जिला–जांजगीर चंपा (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

2 – रमेश कुमार साहू पिता स्वर्गीय देवप्रसाद साहू,58 वर्ष , वर्तमान में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिवरीनारायण, ब्लॉक नवागढ़, जिला–जांजगीर चंपा (सी. जी.) में व्याख्याता के रूप में पदस्थ

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, स्कूली शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नया रायपुर, जिला–रायपुर (सी. जी.)

2 भारत संघ प्रधान सचिव के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (**M.H.Rd)**, भारत का शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

3 – राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, सचिव/अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा अधिवक्ता (एन. सी. टी. ई.), जी–7, सेक्टर 10, द्वारका, लैंडमार्क–मेट्रो स्टेशन हेतु पास नई दिल्ली 110075

4 – लोक शिक्षण निदेशालय निदेशक इंद्रावती भवन, ब्लॉक–3, पहली मंजिल, अटल नगर, नया रायपुर, जिला–रायपुर (सी. जी.)

5 – राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एस. सी. आर. टी.) शंकर नगर, रायपुर, जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 561/2025

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – कुलदिप प्रकाश सिंह चौहान पिता देवानंद सिंह चौहान लगभग 48 वर्ष,वर्तमान में व्याख्याता (एल. बी.) के रूप में पदस्थ, टी–कैडर गवर्नमेंट हायर पिताकेंडरी स्कूल, कुवाकोंडा, ब्लॉक कुवाकोंडा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सी. जी.)

2 – राकेश कुमार मिश्रा पिता के. पी. मिश्रा लगभग 48 वर्ष, वर्तमान में व्याख्याता (एल. बी.) के रूप में में पदस्थ ,टी–कैडर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर पिताकेंडरी स्कूल, गीदम, ब्लॉक गीदम, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सी. जी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा, स्कूली शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)

2–भारत संघ प्रधान सचिव के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय **(M.H.R.D),** भारत का शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

3 – राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद **(N.C.T.E)** सचिव/अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद **(N.C.T.E)**, जी–7, सेक्टर–10, द्वारका, लैंडमार्क–मेट्रो स्टेशन हेतु पास, नई दिल्ली–110075

4 – निदेशक लोक शिक्षण निदेशालय, इंद्रावती भवन, ब्लॉक–3, पहली मंजिल, अटल नगर नया रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)

5 – राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद **(S.C.E.R.T)** शंकर नगर, रायपुर, जिला रायपुर

---उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 1541/2020

1 – दुजे राम खरे पिता स्वर्गीय बरतराम 56 वर्ष, अटपो कोशिर, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़,

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा स्कूली शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2 – लोक शिक्षण निदेशालय, इंद्रावती भवन, ब्लॉक–**III,** प्रथम तल, अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

------उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका सेवा सं 2220/2025

1 – अनुराग त्रिवेदी पिता स्वर्गीय करुणा शंकर त्रिवेदी,49 वर्ष, वर्तमान में जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा, स्थायी पद संस्कृत व्याख्याता के रूप में पदस्थ, बालोद, जिला–बालोद, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य–सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय, नया रायपुर, जिला।– रायपुर (सी. जी.)

2 – भारत संघ के माध्यम से–प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय **(M.H.R.D),** शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली

3 – राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद **(N.C.T.E)** सचिव/अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद **(N.C.T.E)**, जी–7, सेक्टर–10, द्वारका लैंडमार्क, मेट्रो स्टेशन हेतु पास, नई दिल्ली–110075

4 – लोक शिक्षण निदेशालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (सी. जी.)

5 – लोक शिक्षण उप निदेशक, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (सी. जी.)

6 – राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (S.C.E.R.T) शंकर नगर, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

याचिकाकर्तागण हेतु :--श्री अजय श्रीवास्तव, श्री पलाश अग्रवाल, श्री गोविंद प्रसाद देवांगन, श्री आकाश पांडे, श्री खुलेश साहू, श्री आशुतोष त्रिवेदी, श्री अंकित की ओर से श्री वाई. सी. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सचिन निधि, श्री मनोज परांजपे, श्री प्रतीक शर्मा, सुश्री मधुनिशा सिंह, श्री ईशान वर्मा के साथ श्री आदित्य कुमार मिश्रा, श्री कमलेश कुमार पांडे, श्री ऊधो राम कोशाली तथा श्री जी. पी. माथुर उपस्थित थे। सिंह, श्री विजय शंकर मिश्रा, श्री समीर रिगरी, श्री अंजय मिश्रा, श्री जाकिर अनम शाह, श्री विशाल चंद्रवंशी, सुश्री पूजा लोनिया, सुश्री मीरा तिवारी तथा श्री ऐश्वर्या दीवान, अधिवक्ता

राज्य हेतु :--श्री वाई. एस. ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता,श्री रमाकांत मिश्रा, सॉलिसिटर जनरल

भारत संघ हेतु :--श्री रमाकांत मिश्रा, उप सॉलिसिटर जनरल

उत्तरवादी हेतु :--श्री जितेंद्र पाली, श्री एन. के. मालवीय, श्री नीरजचौबे, श्री विभोर गोवर्धन, श्री प्रतीक सिंह ठाकुर, श्री अनूप मजूमदार, श्री कन्हैया राम यादव, श्री धर्मेश श्रीवास्तव, सुश्री डायना बजरंग, श्री विनोक के. देशमुख, श्री सिद्धांत तिवारी, श्री अमृत दास, श्री सुदीप वर्मा, श्री दशरथ प्रजापति, श्री आलोक बख्शी, श्री भास्कर पायशी, श्री एन. नाहा रॉय, श्री जमील अख्तर लोहानी, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्रीमती. रजनी दुबे, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

सी ए वी आदेश

अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश के अनुसार

1) सभी वर्तमान रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शिक्षा एवं प्रशासनिक) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 (जिसे आगे "2019 के नियम" कहा जाएगा) की अनुसूची II के क्रमांक 18 और अनुसूची IV के क्रमांक 9 की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न उठाया गया है।कुछ रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने अनुसूची II के नियम 15 में संशोधन की मांग की है, जिसमें उन व्याख्याताओं को सेवा लाभ देने की प्रार्थना की गई है, जिन्होंने पहले प्रधानाध्यापक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन किया है।जबकि इन याचिकाओं में मुख्य चुनौती उपरोक्त प्रविष्टियों, अर्थात् अनुसूची II की क्रम संख्या 18 और अनुसूची IV की क्रम संख्या 9, 2019 नियमों की वैधता से संबंधित है, याचिकाकर्ताओं ने इसके अतिरिक्त, विभिन्न सहायक अनुतोष की मांग करते हुए परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने की भी प्रार्थना की है।

2)प्रभावी न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से, वर्तमान रिट याचिकाओं को उनमें मांगे गये अनुतोष की समानता के आधार पर समेकित और समूहीकृत किया गया है।सुनवाई के दौरान, संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि समान विवाद्यक को उठाने वाली याचिकाओं, विशेष रूप से संबंधित नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सामूहिक रूप से सुनवाई और निर्णय किया जा सकता है। तदनुसार, याचिकाओं के तीन समूह गठित किया गया है।

3)पहले समूह में डब्ल्यूपीएस संख्या 5217/2019 , डब्ल्यूपीएस संख्या 9546/2020 , डब्ल्यूपीएस संख्या 438/2020, डब्ल्यूपीएस संख्या 1541/2021 की डब्ल्यूपीएस संख्या 1718/2021 शामिल हैं। डब्ल्यूपीएस संख्या 5217/2019 में मांगा गया प्राथमिक अनुतोष को इस समूह के भीतर विचार के लिए प्रतिनिधि विवाद्यक के रूप में लिया गया, जो इस प्रकार है:–––

" 10.1 यह कि, यह माननीय न्यायालय छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 की अनुसूची-II के **क्रमांक 18 की शर्त को भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 और 16 के विरुद्ध घोषित करने की कृपा करे;**

10.2 यह कि, यह माननीय न्यायालय उत्तरवादी राज्य को प्रधानाध्यापक/व्याख्याता से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए समान रूप से 75% निर्धारित करने का निर्देश देने की कृपा करे, जैसा कि पहले नियम, 2011 की अनुसूची–II के **क्रमांक 3 के अनुसार निर्धारित किया गया था;**

10.3 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी राज्य को प्रधान–शिक्षक (स्नातकोत्तर) तथा टी–संवर्ग के व्याख्याता की समेकित वरिष्ठता–सूची/श्रेणीकरण–सूची तैयार करने का निर्देश देवे, जिसके द्वारा प्राचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु आगे विचार किया जाए;

10.4 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी राज्य को छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक तथा प्रशासनिक) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 की अनुसूची–II के **क्रम सं.18 (3) में हेड–मास्टर (प्रशिक्षित) हेतु निर्धारित व्याख्याताओं हेतु समान रूप से प्रशिक्षित शर्त को शामिल करने का निर्देश देवे ।**

10.5 यह कि, कोई अन्य अनुतोष /आदेश जो याचिका के खर्च के अधिनिर्णय सहित प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों में उचित तथा न्यायसंगत लगे, दिया जा सकता है।10.6 स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 2 – 65/2024/20–3 दिनांक 30.04.2025 और आदेश क्रमांक एफ 1 – 108/2024/20–3 दिनांक 30.04.2025 को रद्द एवं अपास्त किया जावें।"

4)दूसरे समूह में डब्लू पी एस 5/2025, डब्लू पी एस 561/2025 और डब्लू पी एस 1302/2025 शामिल हैं।

डब्लू पी एस. संख्या 5/2025 में मांगे गये प्राथमिक अनुतोष को इस समूह में विचारार्थ अभ्यावेदन माना गया, जो इस प्रकार है:––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

" 10.1 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया उपयुक्त रिट जारी करके छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 के नियम 14 एवं 15 के अंतर्गत अधिनियमित अनुसूची–**IV** के क्रमांक 9 के कॉलम 3 को अधिकारातीत एवं असंवैधानिक घोषित करे अथवा इसके स्थान पर यह घोषित करे कि व्याख्याता के पद से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले प्राचार्य के 65% पदों के लिए बी.एड. आवश्यक योग्यता है।

10.2 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया उचित रिट जारी करके उत्तरवादीगण को निर्देश देवें कि वे उन अभ्यर्थियों के नाम प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति से बाहर रखें जिन्होंने बी.एड. प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है।

10.3 यह माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, उपयुक्त आदेश पारित करने या रिट जारी करने की कृपा करे।

10.4 यह कि, यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा जारी किए गए आक्षेपित आदेश दिनांक 30.04.2025, संख्या एफ–1–108/2024/20–4 (टी–कैडर) और आदेश दिनांक 30.04.2025, संख्या एफ–2–65/2024/20–तीन (ई–कैडर)(अनुलग्नक पी/12) को निरस्त करने की कृपा करे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5)तीसरे समूह में डब्लू पी एस. संख्या 1779/2025, डब्लू पी एस संख्या 2220/2025, डब्लू पी एस. संख्या 2368/2025, डब्लू पी एस. संख्या 4077/2025 और डब्लू पी एस. संख्या 4447/2025 शामिल हैं।डब्लू पी एस. संख्या 1779/2025 में मांगे गये प्राथमिक अनुतोष को इस समूह के अंतर्गत विचारार्थ प्रतिनिधि विवाद्यक के रूप में लिया गया, जो इस प्रकार है:–––

" 10.1 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया अनुसूची **II** की प्रविष्टि 18 और अनुसूची **IV** की प्रविष्टि 9 को अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होने के कारण अधिकारहीन घोषित करे।

10.2 यह कि, माननीय न्यायालय उत्तरवादी संख्या 02 द्वारा 29.10.2024 को प्रकाशित आक्षेपित पदक्रम सूची को अपास्त करने की कृपा करे।

10.3 यह कि, माननीय न्यायालय उत्तरवादीगण को निर्देश देवें कि वे प्रधानाध्यापक (मध्य विद्यालय) को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र न मानें।

10.4 यह कि, माननीय न्यायालय उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देश देने की कृपा करे कि वे उन व्याख्याताओं के नाम, जो पूर्व में प्रधानाध्यापक (मध्य विद्यालय) के पद पर कार्यरत रहे हैं, प्रधानाध्यापकों की पदक्रम सूची और व्याख्याताओं की पदक्रम सूची में शामिल करें और उन्हें प्रधानाध्यापक (मध्य विद्यालय) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता प्रदान करें।

10.5 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादीगण को याचिका की लागत की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश देने की कृपा करे।

10.6 याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अन्य अनुतोष जो यह माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त तथा उचित समझे।"

6) उपर्युक्त याचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चुनौती छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शिक्षा एवं प्रशासनिक) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 की अनुसूची-II के क्रमांक 18 और अनुसूची–IV के क्रमांक 9 के विरुद्ध है।तत्काल संदर्भ के लिए, अनुसूची–II का क्रमांक 18 नीचे पुन: प्रस्तुत है:––––––

अनुसूची–II

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सरल क्रमांक		**सेवा/पद का नाम**		**सेवा पदों की कुल संख्या**		**भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत**	
सरल क्रमांक		सेवा/पद का नाम		सेवा पदों की कुल संख्या		भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	
टिप्पणियां							
		ई.	टी.	सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (1) (ए) देखें]	पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (1) (बी) देखें]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा [नियम 6 (1) (सी) देखें]	
18			प्रधानाचार्य 2591 1898 10% 90 प्रतिशत			---	प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को आकस्मिक रिक्तियों को निम्नानुसार विभाजित किया जाएगा: (1) 10% पद सरकारी विद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं/पंचायत/नगरीय निकायों में कार्यरत व्याख्याताओं के साथ सीमित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। (2) 65% पद व्याख्याताओं की

							पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, जिसमें 70% पद ई-संवर्ग के व्याख्याताओं के लिए और 30% पद ई (एल.बी.) संवर्ग के व्याख्याताओं के लिए होंगे। यदि ई-संवर्ग में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो पदों को ई (एल.बी.) संवर्ग के व्याख्याताओं की पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा और इसके विपरीत।

7)त्वरित संदर्भ के लिए, अनुसूची-IV की क्रम संख्या 9 नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:------

अनुसूची-IV

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सरल क्रमांक	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद हेतु पात्रता हेतु न्यूनतम अनुभव अवधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
9	व्याख्याता / प्रधानाध्यापक (मध्य विद्यालय) (प्रशिक्षित स्नातकोत्तर)	05 वर्ष का शिक्षण अनुभव	प्रधानाचार्य	1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामित सदस्य - अध्यक्ष (2) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग - सदस्य (3) निदेशक, लोक शिक्षण - सदस्य (4) उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा - सदस्य सचिव

8) प्रथम समूह में मामले के तथ्य जिनमें डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 5217/2019, 9546/2019, 438/2020, 1541/2020 और 1718/2021 शामिल हैं:---

याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मामले के तथ्य यह हैं कि सभी याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक (स्नातकोत्तर और प्रशिक्षित) के रूप में कार्यरत हैं।उन्हें छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग शैक्षणिक संवर्ग (राजपत्रित) भर्ती नियम, 2011 के अंतर्गत

नियुक्त/पदोन्नत किया गया था।2011 के नियमों के अंतर्गत, प्रधानाध्यापक और व्याख्याता, प्राचार्य/उप–प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए समान रूप से पात्र थे (वरिष्ठता और सेवा अवधि के आधार पर)। 2011 के नियमों के प्रावधानों में शामिल हैं:––

*** प्रधानाचार्य/उप–प्रधानाचार्य के 75% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने थे, जिसमें व्याख्याताओं और प्रधानाध्यापकों के बीच लगभग समानता (लगभग 37.5% प्रत्येक) थी।**

*** 25% पद सीधी भर्ती/विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से भरे जाने थे।पदोन्नतियाँ व्याख्याताओं और प्रधानाध्यापकों (टी–संवर्ग) की संयुक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर थीं, जो 2011 और 2018 में लागू की गई थी।इसके बाद, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 लागू किए गए, जिससे पदोन्नति संरचना में व्यापक बदलाव आया, जिसका विवरण इस प्रकार है:–––**
*** प्रधानाध्यापकों का कोटा घटाकर 25% कर दिया गया, जिसमें से केवल 70% (17.5%) ही याचिकाकर्ताओं पर लागू होगा।**

*** व्याख्याताओं का कोटा बढ़ाकर 65% कर दिया गया।**

*** व्याख्याताओं और प्रधानाध्यापकों के लिए अलग–अलग वरिष्ठता सूचियाँ शुरू की गईं।**

*** "प्रशिक्षित" योग्यता केवल प्रधानाध्यापकों के लिए अनिवार्य की गई है, व्याख्याताओं के लिए नहीं। 05.03.2019 को एक सरकारी आदेश द्वारा स्कूलों का प्रशासनिक नियंत्रण आदिम जाति कल्याण विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया।आदेश के खंड 9 में यह आश्वासन दिया गया है कि स्थानांतरण के बावजूद टी–संवर्ग के कर्मचारी 2011 के नियमों के तहत अपनी सेवा शर्तें यथावत रखेंगे।इन याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायतें हैं कि उनके पदोन्नति कोटे में भारी कटौती (लगभग 37.5% से 17.5% तक) अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण है, व्याख्याता संवर्ग के कनिष्ठों को पृथक वरिष्ठता सूचियों के कारण उनसे पहले पदोन्नत किया जा रहा है, केवल प्रधानाध्यापकों पर "प्रशिक्षित" होने की आवश्यकता मनमाना है और अनुच्छेद 14 और 16 (समानता और समान अवसर का अधिकार) का उल्लंघन करती है और 2020 की पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान प्रधानाध्यापकों का कोई अभिलेख नहीं मांगा गया, जिससे उन्हें प्रभावी रूप से बाहर रखा गया था।2019 के नियम, विशेष रूप से अनुसूची II, क्रमांक 18, अधिकारहीन हैं और 2011 के नियमों के अनुसार समान पदोन्नति के अवसरों की पुनः स्थापित की मांग करते हैं।**

• द्वितीय समूह के मामले के तथ्य जिनमें डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 5/2025, 561/2025 और 2025 की 1302 शामिल हैं:–––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9) कुछ याचिकाकर्ता ई-कैडर से संबंधित हैं और कुछ अन्य टी-कैडर से संबंधित हैं।उनकी सेवाएं 2018 के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में समाहित कर ली गईं और छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) नियम, 2019 द्वारा शासित किया गया।सभी याचिकाकर्ताओं के पास बी.एड. की डिग्री है, जो व्याख्याता के रूप में सीधी भर्ती और प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए अनिवार्य और न्यूनतम योग्यता है।उनके नाम 01.04.2024 (या एक मामले में 01.04.2023) की वरिष्ठता सूची में शामिल हैं। वरिष्ठता सूची में कई ऐसे व्याख्याता शामिल हैं जिनके पास बी.एड. योग्यता नहीं है, लेकिन उनके पास डी.एड., डी.एल.एड., बी.टी.आई. आदि जैसी कम योग्यताएँ हैं, और ऐसे उम्मीदवारों को केवल वरिष्ठता के आधार पर याचिकाकर्ताओं से ऊपर रखा गया है।प्रधानाचार्य का पद इस प्रकार भरा जाता हैः---

*** 10% प्रत्यक्ष भर्ती (विभागीय सीमित परीक्षा) द्वारा, जहाँ बी. एड. अनिवार्य है।**

*** 90% पदोन्नति द्वारा, जिसमें शामिल हैंः1. 65% व्याख्याताओं (ई एंड टी संवर्ग) से।2. 25% हेड मास्टर्स (मिडिल स्कूल) से।चूँकि प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति मुख्यतः व्याख्याता संवर्ग से होती है, इसलिए प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए बी.एड. योग्यता अनिवार्य है।बी.एड. धारक होने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के लिए नज़रअंदाज़ कर दिया गया।बी.एड. डिग्री न रखने वाले अभ्यर्थियों पर केवल वरिष्ठता के आधार पर विचार किया गया था।दिनांक 04.07.2024 के पत्र द्वारा, निदेशालय ने कुछ क्रम संख्या श्रेणियों में व्याख्याताओं के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) माँगी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को छोड़कर, गैर-बी.एड. धारकों को शामिल किया गया था।एनसीटीई विनियम, 2014 के विनियम 4(बी) में उच्चतर माध्यमिक शिक्षण पदों पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में बी.एड. अनिवार्य किया गया है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और समग्र शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती और पदोन्नति के लिए एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यताओं का पालन करना आवश्यक है, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पर ज़ोर दिया गया है।एनसीईआरटी उपनियमों, 2018 के अनुसार, प्रधानाचार्य का पद प्रशासनिक और शिक्षण दोनों है, जिसके लिए प्रतिदिन कम से कम एक शिक्षण कालखंड आवश्यक है। याचिकाकर्ता नियम, 2019 की अनुसूची IV के क्रम संख्या 9 के कॉलम 3 की संवैधानिकता को चुनौती देते हैं, जो गैर-बीएड उम्मीदवारों को पदोन्नति की अनुमति देता है।यह न्यायालय श्रवण कुमार प्रधान मामले में इसी तरह के एक प्रावधान (अनुसूची-IV) के क्रम संख्या 14 के कॉलम 3) को पहले ही असंवैधानिक और अधिकार-बाह्य घोषित कर चुका है।पदोन्नति पर रोक लगाने वाले न्यायालय के आदेशों के बावजूद, प्रतिवादी प्राधिकारियों ने कथित तौर पर न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उम्मीदवारों की पदोन्नति और कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी।इसी तरह की स्थिति वाले उम्मीदवारों द्वारा दायर कई रिट याचिकाएँ माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।**

• तृतीय समूह के मामले के तथ्य जिनमें डब्लू पी एस संख्या 1779/2025, 2220/2025, 2368/2025, 4077/2025 और 4447 (2025) शामिल हैं:---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न सरकारी स्कूलों में व्याख्याता या प्रधानाध्यापक (मध्य विद्यालय) के पद पर कार्यरत हैं।उन्हें शुरू में लागू भर्ती नियमों के तहत सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया था। उनके पास स्वच्छ सेवा रिकॉर्ड है और उन्हें योग्यता, वरिष्ठता और पदानुक्रमिक मानदंडों के आधार पर पदोन्नत किया गया है।05.03.2019 को, राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) नियम, 2019 अधिसूचित किए। ये नियम प्राचार्य के पद पर भर्ती को नियंत्रित करते हैं, जो पदोन्नति पदानुक्रम का अगला चरण है। नियमों की अनुसूची II में कहा गया है:––––

*** 10% प्रधानाचार्य पद सीधी भर्ती से भरे जाएँगे,**

*** 90% पदोन्नति के माध्यम से, जिसे आगे इस प्रकार विभाजित किया गया है:**

1. 65% व्याख्याताओं से

2. 25% प्रधानाध्यापक (मध्य विद्यालय) से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ताओं ने प्रधानाध्यापक (मिडिल स्कूल) और व्याख्याताओं को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए समान रूप से पात्र फीडर कैडर के रूप में वर्गीकृत करने को चुनौती दी है, विशेष रूप से नियम 6, नियम 14, नियम 15 और अनुसूची IV, 2019 नियमों की क्रम संख्या 9 के तहत।अलग–अलग पदों का समीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है, क्योंकि व्याख्याताओं के पास उच्च शैक्षणिक योग्यताएँ (जैसे, बी.एड.) होती हैं, और उनकी भूमिका में विषय विशेषज्ञता और उच्च शिक्षण ज़िम्मेदारियाँ शामिल होती हैं।दिनांक 27.05.2024 की एक ग्रेडेशन सूची में व्याख्याताओं और प्रधानाध्यापकों (मिडिल स्कूल) दोनों को उनकी पिछली सेवा के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र के रूप में शामिल किया गया था।हालाँकि, 29.10.2024 की संशोधित सूची में व्याख्याताओं (कई याचिकाकर्ताओं सहित) को यह कहते हुए शामिल नहीं किया गया कि अब वे एक अलग संवर्ग बनाते हैं। दो अलग–अलग फीडर सूचियों (व्याख्याता और प्रधानाध्यापक) में इस विभाजन ने कथित तौर पर अर्जित वरिष्ठता को कमज़ोर कर दिया है, कनिष्ठ प्रधानाध्यापकों को वरिष्ठ व्याख्याताओं से आगे निकलने का मौका दिया है, और एक ऐसा परिदृश्य बनाया है जहाँ व्याख्याता के पद पर पदोन्नति स्वीकार करने वालों के लिए करियर की प्रगति उलट गई है या धीमी हो गई है।पदोन्नति सूचियों में गैर–बीएड उम्मीदवारों को शामिल करने के बारे में विशेष शिकायत उठाई गई, जो एनसीटीई विनियम, 2014 और एनईपी 2020 का उल्लंघन है, जो न्यूनतम योग्यता के रूप में बीएड को अनिवार्य करता है।डीपीआई के उप निदेशक द्वारा अयोग्य उम्मीदवारों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) मांगने और योग्य उम्मीदवारों को बाहर करने की कार्यवाही को भी चुनौती दी गई है।राज्य ने चुनौती दी गई रूपरेखा के तहत पदोन्नति लागू करना शुरू कर दिया है, पदोन्नति के आदेश और प्रस्ताव सितंबर 2024 और अप्रैल 2025 के बीच जारी किए गए थे।

याचिकाकर्ताओं के करियर की संभावनाओं पर अपरिवर्तनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का जोखिम है, खासकर सेवानिवृत्ति के करीब पहुँच चुके लोगों के लिए।

11) श्री मनोज परांजपे, श्री ईशान वर्मा और श्री आदित्य कुमार मिश्रा, सुश्री मधुनिशा सिंह, श्री कमलेश कुमार पांडे, श्री उधो राम कोशले और श्री जी. पी. माथुर, प्रथम समूह में उपस्थित संबंधित याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता पूर्णतः योग्य, स्नातकोत्तर और प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक हैं, जो प्रारंभ में छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, शैक्षणिक संवर्ग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2011 ("नियम, 2011") द्वारा शासित थे।इन नियमों, 2011 में स्पष्ट रूप से एक सुव्यवस्थित और न्यायसंगत पदोन्नति ढाँचा प्रदान किया गया था, जिसके तहत प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के 75% पद व्याख्याताओं और प्रधानाध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने थे, जिसमें प्रत्येक संवर्ग को समान कोटा आवंटित किया गया था।इन नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को व्याख्याताओं के साथ एक समेकित वरिष्ठता सूची में शामिल किया गया था और उन्हें वर्ष 2011 और 2018 में पदोन्नति के अवसरों से लाभान्वित हुए हैं।इस समेकित उन्नयन सूची और पदोन्नति कोटा में समानता ने यह सुनिश्चित किया कि दोनों संवर्गों अर्थात व्याख्याताओं और प्रधानाध्यापकों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति की संभावनाओं के संबंध में समान स्तर पर रखा जाए।हालांकि, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक और प्रशासनिक) भर्ती और पदोन्नति नियम, 2019 ("नियम, 2019") को लागू करके, याचिकाकर्ताओं के नुकसान के लिए इस पदोन्नति ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया। नए नियम, 2019 के तहत, हेडमास्टर के संवर्ग से पदोन्नति के लिए कोटा 50% से घटाकर केवल 25% कर दिया गया, और आगे विभाजन के साथ याचिकाकर्ताओं की श्रेणी का प्रभावी हिस्सा उस 25% के केवल 70% तक सीमित कर दिया गया, अर्थात लगभग 17.5%।इस बीच, व्याख्याताओं के लिए कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया, जिससे एक असंतुलित और भेदभावपूर्ण पदोन्नति योजना बन गई। इस तरह के विभाजन और कोटा आवंटन का अनिवार्य प्रभाव याचिकाकर्ताओं, जो वरिष्ठ और अनुभवी स्नातकोत्तर हैं, की पदोन्नति की संभावनाओं को कम करना है, क्योंकि इससे व्याख्याता संवर्ग के कनिष्ठों को उनसे पहले पदोन्नत करने की अनुमति मिल जाती है।याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि यह भेदभाव इस तथ्य से और बढ़ जाता है कि नियम, 2019 में एक भेदभावपूर्ण और मनमानी योग्यता आवश्यकता लागू की गई थी, जिसमें केवल प्रधानाध्यापकों के लिए "प्रशिक्षित" होना आवश्यक था, जबकि व्याख्याताओं पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं लगाई गई थी।प्रधानाध्यापकों पर "प्रशिक्षित" योग्यता का यह एकमात्र अधिरोपण बिना किसी तर्कसंगत आधार के अनुचित वर्गीकरण करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है।ऐसा वर्गीकरण स्पष्ट रूप से मनमाना है और याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के समान अवसर से वंचित करता है।इसके अलावा, नियम 2019 के तहत हेडमास्टरों और लेक्चररों के लिए अलग-अलग ग्रेडेशन और वरिष्ठता सूचियाँ बनाई गई हैं, जबकि नियम 2011 के तहत पहले की व्यवस्था में एक समेकित वरिष्ठता सूची थी।इस विभाजन के परिणामस्वरूप एक स्पष्ट विसंगति उत्पन्न होती है जहाँ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लेक्चरर संवर्ग के कनिष्ठ, पदोन्नति के मामले में वरिष्ठ हेडमास्टरों से आगे निकल जाते हैं, जिससे प्राकृतिक न्याय, वैध अपेक्षा और स्थापित सेवा न्यायशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जनजातीय विभाग, पंचायत और स्थानीय निकाय, और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासित विभिन्न संवर्गों के विलय के बावजूद, राज्य सरकार ने दिनांक 05.03.2019 के सरकारी आदेश के तहत स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि टी–संवर्ग के कर्मचारी पहले के नियम, 2011 द्वारा शासित होते रहेंगे, जिससे उनकी सेवा शर्तें तथा पदोन्नति के अधिकारों का संरक्षण होगा।हालाँकि, नियम, 2019 के प्रवर्तन और अनुप्रयोग ने इस आश्वासन की स्पष्ट रूप से अवहेलना की है और याचिकाकर्ताओं के वैध अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि नियम, 2019 की अनुसूची I में उप–प्राचार्य के पद को छोड़ दिया गया है, जो पहले के नियम, 2011 में मौजूद था, और दोनों संवर्गों के लिए असंगत नियुक्ति प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं के सामने भ्रम और भेदभावपूर्ण व्यवहार में योगदान करते हैं। याचिकाकर्ता के संवर्ग, अर्थात हेडमास्टरों के पास महत्वपूर्ण सेवा अनुभव है, जो अक्सर व्याख्याताओं से अधिक होता है, फिर भी नियम इस असमानता को पहचानने में विफल रहते हैं और इसके बजाय संवर्गों को असमान स्तर पर रखते हैं, जिससे याचिकाकर्ताओं के लिए पदोन्नति के अवसर गंभीर रूप से कम हो जाते हैं। कोटा में कमी और भेदभावपूर्ण प्रशिक्षण आवश्यकता के अलावा, नियम, 2019, अपेक्षित अनुभव को दस वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर देते हैं, जिससे पदोन्नति की संभावनाएँ और भी विकृत हो जाती हैं और याचिकाकर्ताओं की भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षाकर्मी जैसी अन्य श्रेणियों को उसी संवर्ग में शामिल करने से पदोन्नति प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है, जिससे प्रधानाध्यापकों के लिए समय पर पदोन्नति प्राप्त करना और भी कठिन हो जाता है। नियम, 2019 द्वारा लाए गए ये परिवर्तन मनमाने, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक हैं क्योंकि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हैं जो कानून के समक्ष समानता और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर की गारंटी देते हैं।राज्य द्वारा नियम, 2019 के माध्यम से किया गया वर्गीकरण, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से किसी भी प्रकार से उचित संबंध नहीं रखता है, जिससे ये नियम मनमाने हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं।विभाजन और कोटा प्रतिबंध अनुचित वर्गीकरण के समान हैं, जो वर्ग के भीतर वर्ग का निर्माण करते हैं, जो अस्वीकार्य है।इसलिए याचिकाकर्ताओं ने ईमानदारी से प्रार्थना की है कि यह न्यायालय छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक और प्रशासनिक) भर्ती और पदोन्नति नियम, 2019 के प्रावधानों, विशेष रूप से प्रधानाध्यापकों के पदोन्नति कोटा और वरिष्ठता से संबंधित प्रावधानों को मनमाना, भेदभावपूर्ण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने वाला और परिणामस्वरूप अधिकारातीत घोषित करने की कृपा करे, निर्देश दे कि याचिकाकर्ताओं को पहले के नियम, 2011 के आधार पर प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाए, जो न्यायसंगत और उचित पदोन्नति के रास्ते प्रदान करते हैं और आगे प्रतिवादियों को प्रधानाध्यापकों और व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूचियों को विलय करने का निर्देश दें जैसा कि पहले के नियमों के तहत किया गया था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि याचिकाकर्ताओं को उनके वैध अधिकारों से वंचित किए बिना निष्पक्ष, न्यायसंगत और गैर–भेदभावपूर्ण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तरीके से पदोन्नतियां की जाएं।याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने **भारत संघ बनाम के.सी. वसंत कुमार, (1994) 1 एससीसी 90 में रिपोर्ट किया गया, जगदीश प्रसाद वर्मा बनाम भारत संघ, (1994) 4 एससीसी 335 में रिपोर्ट किया गया, सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य, (2008) 5 एससीसी 416 में रिपोर्ट किया गया, मोहम्मद शुजात अली बनाम भारत संघ, (1975) 3 एससीसी 76 में रिपोर्ट किया गया** और अन्य मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है जो पदोन्नति के मामलों में गैर-मनमानापन, सेवा शर्तों में समानता और लोक सेवकों की वैध अपेक्षाओं के संरक्षण के सिद्धांतों पर जोर देते हैं।उन्होंने इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.एस. संख्या 2274/2024, (2022) एससीसी ऑनलाइन अध्याय 654 और डब्ल्यू.पी.एस. संख्या 3110/2015 में पारित आदेश पर भी भरोसा जताया गया।इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि नियम, 2019 को उनकी चुनौती उचित है और निष्पक्षता, समानता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने और पदोन्नति के उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है, जिन्हें आक्षेपित नियमों द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से सीमित कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) श्री प्रतीक शर्मा, श्री पलाश अग्रवाल, श्री गोविंद प्रसाददेवांगन, श्री आकाश पांडे, दूसरे समूह में उपस्थित संबंधित याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं कि इस माननीय न्यायालय ने श्रवण कुमार प्रधान बनाम भारत संघ एवं अन्य (डब्ल्यूपीएस संख्या 2358/2024, 26.07.2024 को निर्णीत) के ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट रूप से माना है कि व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए शिक्षा स्नातक (बी.एड.) की डिग्री एक आवश्यक और अनिवार्य योग्यता है।इस न्यायालय द्वारा यह स्थापित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि चूंकि प्रधानाचार्य का पद मूलतः एक पदोन्नति वाला पद है, जो मुख्य रूप से व्याख्याता संवर्ग से भरा जाता है, जो कुल पदोन्नति पदों का लगभग 65% है, इसलिए बी.एड. डिग्री रखने की अनिवार्य योग्यता की आवश्यकता तार्किक रूप से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए भी लागू होनी चाहिए।न्यायालय ने इसी निर्णय में व्याख्याता पद से संबंधित नियम, 2019 की अनुसूची-IV, क्रम संख्या 14 के अंतर्गत समान प्रावधानों को असंवैधानिक और अधिकार-बाह्य घोषित किया है। ये निष्कर्ष इस बात को रेखांकित करते हैं कि योग्यता मानदंड लागू करने में राज्य द्वारा भेदभाव, जिसमें केवल सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए बी.एड. डिग्री होना अनिवार्य है, लेकिन प्रधानाचार्य के पद के लिए पदोन्नति प्राप्त उम्मीदवारों को इससे छूट देना, मनमाना, भेदभावपूर्ण और किसी भी तर्कसंगत संबंध या उचित आधार से पूरी तरह रहित है, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है।इसके अलावा, आक्षेपित नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित बाध्यकारी वैधानिक ढांचे की घोर अवहेलना करते हैं, जो स्पष्ट रूप से उच्च विद्यालयों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में बी.एड. की डिग्री को अनिवार्य बनाता है।यह देखते हुए कि 10% प्रधानाचार्य पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, जिसमें बी.एड. योग्यता अनिवार्य और अनिवार्य पात्रता मानदंड है, जबकि शेष 90% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, जिनमें से 65% पद व्याख्याताओं (शैक्षिक और तकनीकी संवर्ग) की पदोन्नति से और 25% प्रधानाध्यापकों (मिडिल स्कूल) की पदोन्नति से भरे जाते हैं,

प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता के रूप में बी.एड. डिग्री की अनिवार्यता को बाहर करना स्पष्ट रूप से अतार्किक, अन्यायपूर्ण और कानूनी रूप से अस्वीकार्य है।ऐसा बहिष्कार न केवल योग्यता–आधारित मानदंडों और वैधानिक आदेशों को कमजोर करता है, बल्कि शैक्षिक प्रशासन और उत्कृष्टता के उन मानकों को भी नष्ट करता है जिन्हें विनियमों द्वारा बनाए रखने का आशय है।राज्य सरकार द्वारा केवल वरिष्ठता के आधार पर आवश्यक बी.एड. योग्यता न रखने वाले उम्मीदवारों को शामिल करने और पदोन्नत करने के मनमाने निर्णय के कारण याचिकाकर्ताओं के साथ गंभीर पक्षपात किया गया है और उन्हें उनकी वैध और उचित पदोन्नति से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित किया गया है, जो संविधान और वैधानिक नियमों में संहिताबद्ध योग्यता और पात्रता के सिद्धांतों के विपरीत है।यह प्रथा न केवल अनुच्छेद 14 बल्कि संविधान के अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन करती है, जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है और यह अनिवार्य करता है कि पदोन्नति निष्पक्षता, योग्यता और उपयुक्तता के सिद्धांतों द्वारा शासित हो।बी.एड. डिग्री के अभाव में व्याख्याता पद के लिए आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रधानाचार्य के उच्चतर एवं संवेदनशील पद पर पदोन्नत करने की अनुमति देना स्पष्ट रूप से मनमाना, अवैधानिक एवं असंवैधानिक है, जो शैक्षणिक सेवा की अखंडता और याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।इसके अलावा, इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को अयोग्य उम्मीदवारों को पदोन्नति देने से रोकने के लिए एक स्पष्ट और स्पष्ट स्थगन आदेश पारित करने के बावजूद, प्रतिवादियों ने जानबूझकर और अवज्ञापूर्वक पदोन्नति आदेश जारी करके और ऐसे उम्मीदवारों को प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त होने की अनुमति देकर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया है। यह जानबूझकर की गई अवज्ञा न केवल न्यायिक प्रक्रिया के अधिकार और पवित्रता को कमजोर करती है, बल्कि याचिकाकर्ताओं के लिए अपूरणीय पूर्वाग्रह का कारण भी बनती है, जो कानून के अनुसार पदोन्नति के हकदार हैं।ऐसे अवैध पदोन्नतियों की अनुमति देने वाले विवादित नियमों का निरंतर अनुप्रयोग भेदभाव को कायम रखता है, शैक्षिक मानकों को कमजोर करता है और वैधानिक आदेशों का उल्लंघन करता है।पूर्वगामी के मद्देनजर, नियम, 2019 के विवादित प्रावधान, जिस सीमा तक वे अनिवार्य बी.एड. योग्यता के अभाव वाले उम्मीदवारों को पदोन्नति की अनुमति देते हैं, असंवैधानिक, अवैध और अधिकारातीत घोषित किए जाने योग्य हैं।इसलिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रार्थना करते हैं कि यह माननीय न्यायालय उक्त प्रावधानों को अमान्य घोषित करने, इस न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश और लागू कानून के उल्लंघन में जारी किए गए सभी अनधिकृत पदोन्नति आदेशों को रद्द करने और प्रतिवादियों को अनिवार्य बी.एड. योग्यता न रखने वाले उम्मीदवारों को आगे पदोन्नत करने से रोकने के लिए उचित निर्देश जारी करने की कृपा करे।याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने राज्य को एनसीटीई विनियमों और इस माननीय न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय द्वारा अनिवार्य योग्यता का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पदोन्नति केवल न्यूनतम मानदंड के रूप में अपेक्षित बी.एड. योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को दी जाए, जिससे सार्वजनिक रोजगार में योग्यता, निष्पक्षता और संवैधानिक गारंटी की रक्षा हो सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13) श्री वाई. सी. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सचिन निधि, श्री खुलेश साहू, श्री आशुतोष त्रिवेदी, श्री अंकित सिंह, श्री विजय शंकर मिश्रा, श्री समीर रिगरी, श्री अंजय मिश्रा, श्री जाकिर अनम शाह, श्री विशाल चंद्रवंशी, सुश्री पूजा लोनिया, सुश्री मीरा तिवारी और श्री ऐश्वर्या दीवान द्वारा सहायता प्राप्त, तीसरे समूह में उपस्थित संबंधित याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता, व्याख्याता मान्यता प्राप्त सेवा पदानुक्रम के माध्यम से विधिवत नियुक्त और पदोन्नत हुए हैं, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का नियम, 2019 के तहत विवादित प्रावधानों और कार्रवाइयों द्वारा गंभीर रूप से उल्लंघन किया गया है।मुख्य शिकायत अलग-अलग पदों, व्याख्याता (उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) और प्रधानाध्यापक (मध्य विद्यालय) के मनमाने और तर्कहीन वर्गीकरण से उत्पन्न होती है,यह वर्गीकरण, किसी भी सुबोध विभेद से रहित और योग्यता-आधारित पदोन्नति के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध के अभाव में, उन पदों को अनुचित रूप से समान करता है जो योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, जिम्मेदारियों और कैरियर प्रक्षेपवक्र में काफी भिन्न हैं।नियमों ने अलग-अलग फीडर कैडर सूचियाँ तैयार करके, व्याख्याता के पद पर पदोन्नति की तिथि के बजाय प्रधानाध्यापक पद की तिथि से सेवा की गणना करके वरिष्ठता गणना में हेरफेर करके और पदोन्नति के विचार में कनिष्ठों को वरिष्ठों से आगे निकलने की अनुमति देकर वरिष्ठता-सह-योग्यता सिद्धांत को विकृत कर दिया है।इस तरह की कार्यवाही न केवल समानता और निष्पक्षता के संवैधानिक अधिदेश का उल्लंघन करती हैं, बल्कि सेवा न्यायशास्त्र, वैध अपेक्षा और अप्रतिगमन के स्थापित सिद्धांतों का भी उल्लंघन करती हैं।इन नियमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पात्र और वरिष्ठ व्याख्याताओं को, विशेष रूप से 27.05.2024 के बाद तैयार की गई ग्रेडेशन सूची से गलत तरीके से बाहर रखा गया है, जो इस माननीय न्यायालय द्वारा डब्लू पी एस संख्या 502/2022 में दिए गए बाध्यकारी दृष्टांत का भी उल्लंघन करता है, जिसमें नियम 15(1) के स्पष्टीकरण को अधिकारहीन घोषित किया गया था। डब्लू पी एस संख्या 2220/2025 में, यह भी बताया गया है कि व्याख्याताओं के लिए और उसी पद पर सीधी भर्ती के लिए B.Ed अनिवार्य योग्यता होने के बावजूद, गैर-B.Ed उम्मीदवारों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत करने की अनुमति देने की राज्य की कार्रवाई मनमानी और एन. सी. टी. ई. नियमों का उल्लंघन है, इस प्रकार अनुच्छेद 14 और 16 के साथ-साथ वैधानिक मानदंडों का भी उल्लंघन है।याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि माननीय न्यायालय ने श्रवण कुमार बनाम भारत संघ (डब्ल्यूपीएस/2358/2024) के मामले में पहले ही इसी तरह के प्रावधानों को रद्द कर दिया है, और फिर भी प्रतिवादियों ने समान नियमों और स्पष्टीकरणों पर भरोसा करना जारी रखा है, जिससे न्यायिक अधिकार कमजोर हो रहे हैं और भेदभाव जारी है।त्रुटिपूर्ण ग्रेडेशन सूचियों और पदोन्नति का जल्दबाजी और चयनात्मक कार्यान्वयन, विशेष रूप से याचिकाकर्ताओं के करियर के अंतिम चरण में, अपूरणीय पूर्वाग्रह और अपरिवर्तनीय परिणामों का कारण बनता है, जिससे वरिष्ठों को योग्यता, अनुभव और पदानुक्रम की घोर उपेक्षा करते हुए अपने कनिष्ठों के अधीन काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आक्षेपित नियम और परिणामी पदोन्नति आदेश संवैधानिक रूप से कमजोर हैं क्योंकि वे "वर्ग के भीतर एक वर्ग" बनाते हैं और बिना किसी उद्देश्य या विधिक आधार के एक विशेष श्रेणी को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाते हैं।उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की कार्यवाही, जिनमें पूर्व न्यायिक निर्देशों के विपरीत नई ग्रेडेशन सूची जारी करना और पात्रता मानदंडों का गलत प्रयोग शामिल है, सेवा अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के प्रणालीगत क्षरण को दर्शाती हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की है कि यह माननीय न्यायालय अपने असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए 2019 के नियमों की अनुसूची II की प्रविष्टि 18 और अनुसूची–IV के क्रम संख्या 14 के कॉलम 3 को असंवैधानिक और अधिकारहीन घोषित करे, आक्षेपित क्रमोन्नति सूचियों और पदोन्नति आदेशों को रद्द करे, दिनांक 27.05.2024 की पूर्व विधिक रूप से अनुपालन क्रमोन्नति सूची को बहाल करे, और उत्तरवादी को संवैधानिक सिद्धांतों, न्यायिक मिसालों और स्थापित सेवा मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे।

14) विद्वान राज्य अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियम, 2019 स्कूल शिक्षा विभाग के शैक्षिक और प्रशासनिक दोनों संवर्गों के लिए सेवा की शर्तों को नियंत्रित करते हैं।नियम 8 सीधी भर्ती के लिए पात्रता से संबंधित है, जबकि नियम 14 और 15 पदोन्नति की प्रक्रिया और शर्तें निर्धारित करते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि कुछ पदों को दो श्रेणियों, शैक्षिक (ई) और जनजातीय (टी) में विभाजित किया गया है, जिनमें अलग–अलग पदोन्नति पदानुक्रम, स्वीकृत पद और कोटा हैं। 2015 में आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों और 2018 में स्थानीय निकाय स्कूलों के विलय के बाद, छत्तीसगढ़ में सभी स्कूली शिक्षा एकीकृत स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आ गई। व्याख्याता और प्रधानाध्यापक (मध्य विद्यालय) 2019 के नियमों में संलग्न अनुसूचियों के अनुसार अलग–अलग संवर्गों से संबंधित हैं।अनुसूची II की प्रविष्टि 22 व्याख्याताओं की स्वीकृत संख्या को दर्शाती है, जबकि प्रविष्टि 25 प्रधानाध्यापकों से संबंधित है।प्रविष्टि 18 के कॉलम 8 में प्रधानाचार्य के पद के लिए पदोन्नति कोटा निर्धारित किया गया है, अर्थात व्याख्याताओं से 65% और प्रधानाध्यापकों से 25%। ये कोटे उनकी संबंधित स्वीकृत संख्या के अनुपात में हैं, और संवर्ग के किसी भी कोटे में कटौती नहीं की गई है।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि व्याख्याता और प्रधानाध्यापक वेतनमान और वर्ग में समान हैं, और दोनों प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए फीडर संवर्ग के रूप में कार्य करते हैं, फिर भी वे अलग–अलग संवर्ग बने रहते हैं।शिक्षक, व्याख्याता और प्रधानाध्यापक दोनों पदों के लिए फीडर संवर्ग हैं।याचिकाकर्ता प्रविष्टि 18 के अंतर्गत वर्गीकरण या कोटा निर्धारण में किसी भी प्रकार की मनमानी या अनुचितता को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं।चूँकि दोनों संवर्ग समान हैं और उन्हें स्वीकृत पदों के अनुसार कोटा आवंटित किया गया है, इसलिए ऐसा वर्गीकरण वैध और अनुमेय है।योग्यताएँ निर्धारित करना, पद सृजन या समाप्ति, पदोन्नति संबंधी पदानुक्रम और कोटा निर्धारण राज्य के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं।पदोन्नति एक प्रवर्तनीय अधिकार नहीं है; केवल पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार मौजूद है।केवल पदोन्नति के अवसर में कमी किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है।विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे कहा कि उसके पास सेवा नियमों में एकतरफा संशोधन करने का अधिकार है और राज्य को किसी विशेष तरीके से नियम बनाने के लिए बाध्य करने वाला कोई परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वैधानिक नियमों में परिवर्तन तक विस्तारित नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रधानाचार्य का पद एक प्रशासनिक पद है, और राज्य ने अपनी विवेकाधिकार से बी.एड. निर्धारित नहीं किया है। उक्त पद पर पदोन्नति के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में। इस उद्देश्य के लिए बी.एड. की आवश्यकता वाला कोई अनिवार्य अधिनियम या नियम नहीं है। माननीय न्यायालय ने पिछली याचिकाओं में इसी तरह के विवाद्यक पर पहले ही निर्णय दे दिया है और 2019 के नियमों की अनुसूची II की प्रविष्टि 18 की वैधता को यथावत रखा है, जिसमें वर्गीकरण, पदोन्नति कोटा और योग्यता संबंधी प्रावधान शामिल हैं।इसके अतिरिक्त, राज्य ने डब्ल्यूपीएस संख्या 502/2022 में न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का विधिवत कार्यान्वयन किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि एक व्याख्याता द्वारा प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा की गई अवधि को अर्हक सेवा में गिना जाए। 15) चूँकि उत्तरवादी राज्य के समर्थन में कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को इस न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और उन्हें इन मामलों में उत्तर दाखिल करने की अनुमति दी गई है, अतः उपरोक्त पहलू पर विचार करते हुए, अन्य हस्तक्षेपकर्ताओं को भी मामले पर बहस करने की अनुमति दी जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16) आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता, जिनका प्रतिनिधित्व विभिन्न अधिवक्ता द्वारा किया गया जिनमें श्री आलोक बख्शी, श्री भास्कर पयाशी, श्री अनूप मजूमदार, श्री जमील अख्तर लोहानी, श्री विनोक के. देशमुख, श्री अमृतो दास, श्री एन. नाहा रॉय, श्री जितेंद्र पाली, श्री एन. के. मालवीय, श्री नीरज चौबे, श्री विभोर गोवर्धन, श्री प्रतीक सिंह ठाकुर, श्री कन्हैया राम यादव, श्री धर्मेश श्रीवास्तव, सुश्री डायना बजरंग, श्री सिद्धांत तिवारी, श्री सुदीप वर्मा, श्री दशरथ प्रजापति शामिल हैं, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क का विरोध करते हैं, जबकि विद्वान राज्य वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क का समर्थन करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि वे 2019 के नियमों के अनुसार स्कूल प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नत होने वाले विधिवत योग्य और पात्र उम्मीदवार हैं।हस्तक्षेपकर्ताओं में प्रधानाध्यापक (मिडिल स्कूल) और व्याख्याता दोनों शामिल हैं, जिनमें से कुछ ई-कैडर के अंतर्गत और अन्य पूर्ववर्ती आदिवासी कल्याण या पंचायत कैडर के हैं, जो एक दशक से अधिक समय से सेवा में स्थिर हैं और अंततः राज्य सरकार द्वारा 30.04.2025 के आदेश द्वारा इस माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में डीपीसी के आयोजन सहित उचित प्रक्रिया के बाद पदोन्नत किए गए थे।याचिकाकर्ताओं ने 2019 के नियमों के तहत कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, विशेष रूप से फीडर कैडर के अनुपात और प्रधानाचार्य पद के लिए पात्रता योग्यता से संबंधित प्रावधानों को।शिकायत मुख्य रूप से "प्रशिक्षित" शब्द की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें तर्क दिया गया है कि केवल बी.एड-योग्य उम्मीदवारों को ही पात्र माना जाना चाहिए, जिससे डी.एड. या बी.टी.सी. योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को बाहर रखा जा सके। ऐसा तर्क पूरी तरह से गलत है और स्थापित सेवा न्यायशास्त्र के साथ-साथ नियमों की स्पष्ट भाषा और आशय के विपरीत है।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 2019 के नियमों में जानबूझकर "प्रशिक्षित" शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे बी.एड., डी.एड. और बी.टी.सी. सहित कई शिक्षण योग्यताएँ इसमें शामिल हो गई हैं। प्रधानाचार्य के पद में व्यापक प्रशासनिक दायित्व शामिल होते हैं, और शिक्षण आवश्यकता आकस्मिक

होती है; इसलिए, केवल प्रशिक्षण के आधार पर उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना अस्वीकार्य है। ऐतिहासिक नियम और परिपत्र, जिनमें दिनांक 22.11.1979 और 25.10.1987 के नियम और परिपत्र शामिल हैं, प्रशिक्षण योग्यताओं के लिए, विशेष रूप से लंबी सेवा वाले और 50 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवारों के लिए, समकक्षता और छूट को मान्यता देते थे।पदोन्नति कोटे का विभाजन, जिसमें 65% व्याख्याताओं से और 25% प्रधानाध्यापकों से होगा, नियम बनाने वाले प्राधिकारी के अनन्य अधिकार क्षेत्र में एक नीतिगत निर्णय है।याचिकाकर्ता, जिन्हें अभी पात्रता या वरिष्ठता प्राप्त करनी है, किसी योजना को केवल इसलिए अमान्य नहीं कर सकते क्योंकि वह उनके अपेक्षित करियर विकास के अनुकूल नहीं है। इस माननीय न्यायालय के खंडपीठ के निर्णयों सहित न्यायिक उदाहरणों ने इस तरह के संवर्ग संरचना और पदोन्नति अनुपात को संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य की वैध विधायी क्षमता के भीतर माना है। हस्तक्षेप करने वालों में अंतर-विभागीय विलय के बाद आदिवासी कल्याण, पंचायत और नगरीय प्रशासन विभागों से शामिल शिक्षक शामिल हैं।2015-2018 से पहले इन कर्मचारियों पर विभिन्न नियम लागू थे, जिनमें से किसी में भी विशेष रूप से बी.एड. अनिवार्य नहीं था।विलय के बाद, योग्यताओं में सामंजस्य स्थापित करने और "बी.एड" के बजाय "प्रशिक्षित" शब्द का प्रयोग करने के लिए 2019 के नियम बनाए गए। समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के बीच बहिष्कार को रोकने और समानता सुनिश्चित करने के लिए यह एक सुविचारित विधायी विकल्प था।30.04.2025 को दी गई पदोन्नतियाँ लगभग एक दशक बाद आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) का परिणाम हैं।कई उम्मीदवार बिना किसी पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।नियमों की गलत व्याख्या के आधार पर याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त पदोन्नति आदेश पर रोक, हस्तक्षेपकर्ताओं को अपूरणीय क्षति पहुँचा रही है, जिनमें से कई अपने करियर के अंतिम चरण में हैं। ये पदोन्नतियाँ एक कठोर पात्रता सत्यापन प्रक्रिया के बाद की गईं और याचिकाकर्ताओं, जो कनिष्ठ और अयोग्य हैं, के किसी भी निहित अधिकार का उल्लंघन नहीं करती हैं।2019 के नियमों को चुनौती देने वाली एक समान याचिका को माननीय न्यायालय ने डब्ल्यू. पी. संख्या 7624/2024 (26.11.2024 को निर्णीत) में पहले ही खारिज कर दिया है, जिसमें 2019 के नियमों के तहत योग्यता और संवर्ग विभाजन दोनों को बरकरार रखा गया है।वर्तमान याचिकाएँ, एक सुलझे हुए मामले पर एक अनुषंगी हमला होने के कारण, पूर्वन्यायिकता और योग्यता की कमी के आधार पर खारिज किए जाने योग्य हैं। पूर्वोक्त के तहत, हस्तक्षेपकर्ता सम्मानपूर्वक रिट याचिका को गलत, काल्पनिक और अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और इस रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

18) प्रत्येक याचिका में संबंधित स्तंभों के अवलोकन से पता चलता है कि चुनौती के अधीन अधिकार मुख्य रूप से उक्त नियमों के नियम 14 और 15 के अंतर्गत अधिनियमित नियम, 2019 की अनुसूची II की प्रविष्टि 18 और अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 9 के स्तंभ 3 से संबंधित हैं।

इन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर इस आधार पर प्रश्न उठाया गया है कि ये कथित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हैं।इन चुनौतियों में मुख्य तर्क ई और टी संवर्गों के बीच पदोन्नति पदों के विभाजन से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इन संवर्गों को समान पदोन्नति के अवसर प्रदान नहीं किए जा रहे हैं।विशेष रूप से, यह तर्क दिया गया है कि प्रधानाचार्य के पद के लिए अधिकतम पदोन्नति पद ई संवर्ग के व्याख्याताओं को आवंटित किए जाते हैं, जबकि अन्य संवर्गों के प्रधानाध्यापकों और व्याख्याताओं को समान पदोन्नति की संभावनाओं से वंचित रखा जाता है। अनुसूची II की जाँच से यह स्पष्ट होता है कि 90% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, और प्रत्येक संवर्ग को पदों का वितरण अलग–अलग है।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पदोन्नति चाहने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।वर्तमान में, प्रधानाचार्य के पद हेतु रिक्त पदोन्नति पदों की संख्या ई संवर्ग के लिए 2,591 और टी संवर्ग के लिए 1,898 है।यह आँकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि टी संवर्ग के लिए उपलब्ध पदोन्नति पद ई संवर्ग की तुलना में काफी कम हैं।परिणामस्वरूप, पदोन्नति के अवसरों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए, राज्य ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, सभी पात्र व्याख्याताओं को उचित पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए इन पदों को विभाजित कर दिया है।कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दिया गया एक अन्य पहलू "प्रशिक्षित स्नातक" शब्द से संबंधित है। "याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास बी.एड. की डिग्री होना आवश्यक है, जबकि यूडीटी शिक्षकों के पद से पदोन्नत हुए प्रधानाध्यापकों के पास ऐसी योग्यता नहीं होती, इसलिए प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए बी.एड. की डिग्री एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए, और जिन प्रधानाध्यापकों या व्याख्याताओं के पास यह डिग्री नहीं है, उन्हें ऐसी पदोन्नति के लिए अयोग्य माना जाना चाहिए।तर्क का तीसरा बिंदु न्यूनतम अनुभव मानदंड से संबंधित है। नियमों के अनुसार, पदोन्नति के लिए पात्र होने हेतु प्रशिक्षित स्नातकोत्तर व्याख्याता या प्रधानाध्यापक के रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष का शिक्षण अनुभव आवश्यक है।कुछ याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पाँच वर्ष के अनुभव की यह आवश्यकता जूनियर उम्मीदवारों के लिए असमान रूप से अनुकूल है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होता है।यह ध्यान देने योग्य है कि पहले, स्थानीय निकाय, जनजातीय विभाग और शिक्षा विभाग के शिक्षकों सहित कई संवर्ग अलग–अलग मौजूद थे। इसके बाद, राज्य ने सभी शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक ही संवर्ग में समेकित करने का निर्णय लिया।परिणामस्वरूप, विभिन्न संवर्गों के बीच पदोन्नति के अवसरों को उचित रूप से आवंटित करने के लिए 2011 के पदोन्नति नियमों में संशोधन की आवश्यकता थी।इस आवश्यकता के कारण 2019 के नियम बनाए गए।रिक्त पदों की कुल संख्या के आधार पर, ये नियम सभी संवर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने केलिए बनाए गए थे।यह देखते हुए कि अधिकांश शिक्षक अब स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समाहित हो गए हैं, पदोन्नति पदों की संख्या को शिक्षण कार्यबल की संरचना को दर्शाने के लिए ई और टी संवर्गों के बीच विभाजित किया गया है।याचिकाकर्ता विभिन्न संवर्गों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के लिए तैयार की गई क्रमोन्नति सूची को भी चुनौती दे रहे हैं।यह तर्क दिया गया है कि अलग–अलग क्रमोन्नति सूचियाँ बनाकर,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी – राज्य अनावश्यक रूप से पदोन्नति प्रक्रिया को जटिल बना रहा है।इसके बजाय, एक एकीकृत क्रमोन्नति सूची होनी चाहिए।यदि ऐसी समेकित सूची तैयार की जाती, तो अधिक अनुभव वाले अधिकांश प्रधानाध्यापकों को प्राथमिकता दी जाती और कम अनुभव वाले शिक्षकों को तदनुसार उनसे नीचे स्थान दिया जाता है।

19) उपर्युक्त नियमों और प्रधानाचार्य पद के लिए निर्धारित कोटे से यह स्पष्ट है कि किसी भी संवर्ग को आवंटित कोटे में कोई कटौती नहीं की गई है।व्याख्याताओं और प्रधानाध्यापकों को समान वेतनमान और कक्षाओं में रखा गया है, और दोनों ही प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए फीडर संवर्ग के रूप में कार्य करते हैं।ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो यह दर्शाता हो कि राज्य ने प्रविष्टि 18 के अंतर्गत कोटा के वर्गीकरण या निर्धारण में मनमाने या अनुचित तरीके से कार्य किया है। योग्यता मानदंड के संबंध में, जबकि आवश्यकता "प्रशिक्षित" बताई गई है, यह नहीं माना जा सकता कि केवल बी.एड. डिग्री धारक ही प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं। डी.एड., डी.एल.एड., बी.टी.आई. और इसी तरह की योग्यता के आधार पर पदोन्नत शिक्षकों को पहले उनके संबंधित संवर्गों में व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया था। तदनुसार समामेलित होने के बाद, अब उन्हें केवल इसलिए पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास बी.एड. की डिग्री नहीं है।ऐसा करना अन्य संवर्गों से आने वाले व्याख्याताओं और प्रधानाध्यापकों के साथ भेदभाव होगा जिनके पास बी.एड. योग्यता नहीं है।शिक्षकों और व्याख्याताओं के समामेलन के कारण सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु एक नए संतुलन नियम का निर्माण आवश्यक हो गया।2019 के नियम स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि पदोन्नति नियम शैक्षिक और प्रशासनिक दोनों सेवाओं पर लागू होते हैं।पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव रखने वाले प्रधानाध्यापकों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता; इसी प्रकार, केवल प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण व्याख्याताओं को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है।चूँकि शैक्षिक और प्रशासनिक दोनों योग्यताएँ आवश्यक हैं, इसलिए राज्य ने इन आवश्यकताओं को संतुलित करने और समायोजित करने के लिए इन नियमों को यथोचित रूप से तैयार किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20) इस स्तर पर, यह ध्यान रखना उचित है कि इन नियमों कोइस न्यायालय के समक्ष बार-बार चुनौती दी गई है, हर बार मामले के विभिन्न पहलुओं पर विवाद किया गया है।कुछ याचिकाओं में, उठाई गई शिकायतों को प्रच्छन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया था।ऐसी सभी रिट याचिकाएँ खारिज कर दी गई हैं, केवल एक याचिका में कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं।

21) किसी भी नियम को अधिकार-बाह्य घोषित करने के लिए, नियम को चुनौती देने वाले पक्ष को उन आधारों और परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना होगा जिनके तहत नियम को असंवैधानिक या अधिकार-बाह्य बताया गया है। कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा पदोन्नति से इनकार करने से उत्पन्न असंतोष, किसी नियम को अधिकार-बाह्य घोषित करने का वैध आधार नहीं बन सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी नियम को अधिकार–बाह्य घोषित करने के लिए, कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए, जो इस प्रकार हैं:–––––

1. प्रथम दृष्टया आधार :मूल्यांकन करें कि क्या प्रावधान की वैधता पर प्रश्न उठाने वाला कोई मजबूत प्रथम दृष्टया मामला है।

2. चुनौती का समयःजांच करें कि क्या चुनौती कानून या प्रावधान लागू होने के तुरंत बाद दी गई है या इसमें अनुचित देरी हुई है।

3. आधारों का संबंध :सत्यापित करें कि क्या चुनौती के आधार तथ्यात्मक रूप से संबंधित हैं और संबंधित प्रावधान से सुसंगत हैं।

4. जनहितःप्रावधान के संचालन की अनुमति देने या रोकने में शामिल सार्वजनिक हित की सीमा पर विचार करें।

5. वित्तीय प्रभावःराज्य पर वित्तीय प्रभाव और चुनौती देने वाले को कथित नुकसान का मूल्यांकन करें।

6. अंतरिम अनुतोष की आवश्यकताःनिर्णय लें कि मुकदमेबाजी के दौरान प्रावधान के संचालन को रोकना व्यापक जनहित में उचित है या नहीं।

7. अपूर्ण प्रकृतिःउपरोक्त मूलभूत विचार हैं; न्यायालयों को इसी आधार पर अन्य सुसंगत कारकों की भी जाँच करनी चाहिए।

8. शीघ्र निराकरण :विधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए,विधि को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं का शीघ्र और एक निश्चित समय–सीमा के भीतर निराकरण किया जाना चाहिए।

22) किसी क़ानून की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह प्रभावी होऔर व्यावहारिक हो, इस सिद्धांत के अनुसार कि किसी चीज़ का प्रभावी होना, शून्य होने से बेहतर है। तदनुसार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विधायिका अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करती है। यह साबित करने का भार कि कोई क़ानून विधायिका की क्षमता से बाहर है, या यह अन्य संवैधानिक आदेशों, जैसे कि मौलिक अधिकारों से संबंधित आदेशों का उल्लंघन करता है, उसकी वैधता को चुनौती देने वाले व्यक्ति पर है।(देखें, न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा लिखित वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, 12 वां संस्करण, पृष्ठ 592।)

23) यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी क़ानून को हल्के में असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाना चाहिए।न्यायालय को बिना किसी संदेह के यह विश्वास हो जाना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन इतना स्पष्ट और स्पष्ट है कि विवादित विधायी प्रावधान को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24) सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने **शायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सचिव एवं अन्य)** मामले में, जिसकी रिपोर्ट (2017) 9 एससीसी 1 में दी गई थी, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई कानून स्पष्ट रूप सेमनमाना है तो उसे रद्द किया जा सकता है और स्पष्ट मनमानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भी विधि को अस्वीकार करने का आधार है। माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

"101. यह ध्यान देने योग्य है कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स (बॉम्बे) (प्रा.) लिमिटेड बनाम भारत संघ 8 मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा था कि यह स्थापित विधि है कि अधीनस्थ विधान को पूर्ण विधान के विरुद्ध चुनौती के लिए उपलब्ध किसी भी आधार पर चुनौती दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती के इस आधार के संबंध में दोनों प्रकार के विधानों के बीच कोई तर्कसंगत अंतर नहीं है।इसलिए, जैसा कि पूर्वोक्त निर्णयों में निर्धारित किया गया है, स्पष्ट मनमानी का परीक्षण अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अमान्य विधान के साथ–साथ अधीनस्थ विधान पर भी लागू होगा। अतः, स्पष्ट मनमानी विधायिका द्वारा स्वेच्छाचारी, अतार्किक और/या पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत के बिना किया गया कार्य होना चाहिए।इसके अतिरिक्त, जब कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो अत्यधिक और अनुपातहीन हो, तो ऐसा विधान स्पष्टतः मनमाना होगा।इसलिए, हमारा विचार है कि जैसा कि हमने ऊपर बताया है, स्पष्ट मनमानी के अर्थ में मनमानी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अस्वीकृत विधान पर भी लागू होगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25) हाल ही में **डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ एवं अन्य** मामले में, (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 813 में प्रकाशित, सर्वोच्च न्यायालय की तीन–न्यायाधीशों वाली पीठ ने इस बात की पुनः पुष्टि की किन्यायिक समीक्षा विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के असंवैधानिक प्रयोग के विरुद्ध एक सशक्त सुरक्षा उपाय है। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:–

"68. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि न्यायपालिका की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के उपरोक्त दोनों अंग अर्थात विधायिका और कार्यपालिका संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करें।न्यायिक पुनर्विलोकन विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के असंवैधानिक प्रयोग को रोकने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है।इस न्यायालय की भूमिका केवल इस बात की जाँच तक सीमित है कि क्या विधायिका या कार्यपालिका ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों और कार्यों के अंतर्गत कार्य किया है।हालाँकि, ऐसा करते समय न्यायालय को अपनी स्व–निर्धारित सीमाओं के भीतर रहना होगा।"

26) तत्पश्चात, **डॉ. जया ठाकुर (सुप्रा) मामले में,** सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने, बिनॉय विश्वम बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2017) 7 एससीसी 59 में प्रतिवेदित, के मामले में अपने पूर्व के निर्णय पर भरोसा करते हुए, और अपने पूर्व के निर्णयों की समीक्षा करते हुए, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के माध्यम से यह निर्णय दिया कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून को हल्के में असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता, और निम्नलिखित टिप्पणी की---

"70. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह माना है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून को हल्के में असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है।ऐसा करने के लिए, न्यायालय को बिना किसी संदेह के यह मानने में सक्षम होना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन इतना स्पष्ट था कि चुनौती के तहत विधायी प्रावधान मान्य नहीं सकता है।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक संवैधानिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन न हो, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि को गलत घोषित नहीं किया जा सकता है।

71. इस न्यायालय का यह निरंतर मत रहा है कि विधायी अधिनियम को केवल दो आधारों पर रद्द किया जा सकता है।पहला, यह कि उपयुक्त विधायिका के पास कानून बनाने की क्षमता नहीं है; और दूसरा, यह कि यह संविधान के भाग III या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधानों में उल्लिखित किसी भी मौलिक अधिकार को छीनता है या कम करता है।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी अधिनियम को केवल यह कहकर रद्द नहीं किया जा सकता कि यह मनमाना या अनुचित है।किसी अधिनियम को अमान्य घोषित करने से पहले उसमें कोई न कोई संवैधानिक दोष अवश्य पाया जाना चाहिए। यह माना गया है कि संसद और विधानमंडल, जो जनता के प्रतिनिधियों से बने हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे जनता की आवश्यकताओं और उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसके बारे में जानें और जागरूक रहें। न्यायालय उनकी बुद्धिमत्ता पर निर्णय नहीं दे सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

72. इस न्यायालय ने यह माना है कि विधानमंडल के किसी अधिनियम या अधिनियम के किसी प्रावधान को अमान्य घोषित करने का केवल एक ही आधार है, और वह यह है कि यदि वह संविधान के किसी प्रावधान का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है, तो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं, एक जो क़ानून को संवैधानिक बनाता है और दूसरा जो उसे असंवैधानिक बनाता है, तो पहले दृष्टिकोण को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गया है कि न्यायालय को किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, भले ही इसके लिए उसे एक तनावपूर्ण व्याख्या देनी पड़े या उसके दायरे को सीमित करना पड़े।

73. यह लगातार अभिनिर्धारित किया गया है कि संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक पूर्वधारणा होती है, और किसी कानून को तब तक असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि मामला इतना स्पष्ट न हो कि उस पर कोई संदेह न हो।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि पारित किया गया कानून विधायिका को प्रदत्त शक्ति के दायरे में है और उस शक्ति पर किसी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता है, तो न्यायालय चाहे जो भी समझे, कानून को बरकरार रखा जाना चाहिए।

74. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विधायी अधिनियम को चुनौती तभी मान्य होगी जब यह स्थापित हो जाए कि संबंधित विधायिका के पास उस विषय पर अधिनियम बनाने की कोई विधायी क्षमता नहीं थी जिसे उसने अधिनियमित किया है।दूसरा आधार जिस पर वैधता को चुनौती दी जा सकती है, वह यह है कि ऐसा

अधिनियम संविधान के भाग III या संविधान के किसी अन्य प्रावधान में निर्धारित किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।इस न्यायालय के हालिया निर्णयों से एक और आधार यह निकाला जा सकता है कि विधायी अधिनियम की वैधता को स्पष्ट मनमानी के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। हालाँकि, ऐसा करते समय, यह याद रखना होगा कि यह धारणा विधायी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में है।"

27) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बियानी शिक्षण समिति व अन्य मामले में, (2022) 6 एससीसी 65 में रिपोर्ट किए गए, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया है कि अधीनस्थ विधान की संवैधानिकता या वैधता के पक्ष में हमेशा एक पूर्वधारणा होती है और जो इस पर आपत्ति करता है, उसे यह साबित करने का दायित्व उस पर है कि यह अमान्य है।न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बोलते हुए, रिपोर्ट के कंडिका 27 और 28 में निम्नलिखित निर्णय दिया:------

"27. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह माना है कि अधीनस्थ विधान पर उन सभी आधारों पर प्रश्न उठाया जा सकता है जिन पर पूर्ण विधान पर प्रश्न उठाया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस आधार पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि यह उस क़ानून के अनुरूप नहीं है जिसके अंतर्गत इसे बनाया गया है।इस पर इस आधार पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि यह किसी अन्य क़ानून के विपरीत है।यद्यपि इस पर अनुचितता के आधार पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है, किन्तु ऐसी अनुचितता का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि यह उचित नहीं है, बल्कि यह इस अर्थ में होना चाहिए कि यह स्पष्टतः मनमाना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. उक्त मामले में इस न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अधीनस्थ विधान को मनमानेपन के आधार पर चुनौती देने के लिए ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब यह पाया जाए कि यह कानून के अनुरूप नहीं है या यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया है कि ऐसा केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि यह उचित नहीं है या इसमें उन सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया है जिन्हें न्यायालय सुसंगत मानता है।"

28) **पीजीएफ लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,(2015) 13 एससीसी 50** में रिपोर्ट किए गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए और उन सावधानियों की पहचान की जिनका पालन तब किया जाना चाहिए जब किसी वैधानिक प्रावधान की वैधता को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है।

निर्णय के कंडिका 37 में, न्यायालय ने निम्नलिखित चेतावनी दी:--

"37. न्यायालय, प्रथम दृष्टया, यह जाँच कर सकता है कि क्या रिट याचिका में उठाए गए प्रावधानों की वैधता की जाँच करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई ठोस आधार बनता है।न्यायालय यह भी देख सकता है कि क्या ऐसी चुनौती उस समय दी गई थी जब कानून लागू किया गया था या कोई प्रावधान कानून की पुस्तक में शामिल

किया गया था या क्या अधिनियमन की तिथि और चुनौती दिए जाने की तिथि के बीच कोई लंबा समय अंतराल है।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या प्रस्तुत तथ्यों और प्रावधान के निहितार्थ पर आधारित चुनौती के आधारों का वास्तव में चुनौती दिए गए आधारों के अलावा कोई संबंध है।उन सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ में, न्यायालय को इस स्थिति के प्रति सचेत रहना चाहिए कि जब प्रावधान क्षेत्र में संचालित होता है, तो उसमें शामिल जनहित की सीमा क्या है, जबकि ऐसे संचालन की रोकथाम के संबंध में ऐसा प्रावधान नहीं है। न्यायालय को राज्य के संबंध में प्रावधान के संचालन के कारण वित्तीय निहितार्थों की सीमा और प्रावधान की कथित अमान्यता के आधार पर चुनौती देने वाले व्यक्ति द्वारा कथित सहनशीलता की सीमा की भी जांच करनी चाहिए, विशेष रूप से किए गए अधिकारों के संदर्भ में।यदि रिट न्यायालय का यह भी मानना है कि उठाई गई चुनौती पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, तो भी विचार के लिए उठाई गई चुनौती पर विचार करते समय पुनः यह जांच करनी होगी कि क्या यह जनता के व्यापक हित में प्रावधान के क्रियान्वयन को रोकने की मांग करता है।हमने केवल कुछ बुनियादी बातों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिन्हें रिट न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए और यह संपूर्ण नहीं है।दूसरे शब्दों में, रिट न्यायालय को किसी विधि या उसके समक्ष बनाए गए क़ानून के प्रावधान के विरुद्ध किसी चुनौती पर विचार करते समय उपरोक्त आधारों पर विचार करने के लिए अन्य आधारों की भी जाँच करनी चाहिए ताकि उस पर विचार किया जा सके और साथ ही ऐसी रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान कोई अंतरिम अनुतोष प्रदान की जा सके।उपर्युक्त कारणों से यह भी आवश्यक है कि जब ऐसी रिट याचिकाओं पर विचार किया जाए, तो उनका निराकरण यथासंभव शीघ्रता से और समयबद्ध आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि किसी न किसी तरह से विधिक स्थिति का समाधान हो सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29)इसी तरह की एक याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने अजय कुमार नाग एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (दिनांक 26.11.2024 को डब्ल्यू.पी.एस. संख्या 7624/2024 में पारित) मामले में इसी नियम को चुनौती दी है, और निम्नलिखित अनुतोष की मांग की है:-

" 10.1 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया याचिकाकर्ताओं के मामले से संबंधित संपूर्ण अभिलेख उत्तरवादीगण के कब्जे से अवलोकनार्थ मंगवाने की कृपा करे।

10.2 यह कि, यह माननीय न्यायालय छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षासेवा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग नियम 2019 (संक्षेप में, "नियम 2019") के नियम 14 और 15 के अंतर्गत अधिनियमित अनुसूची-**IV** के क्रमांक 9 के कॉलम 3 अर्थात् आक्षेपित प्रावधान को मनमाना, अवैध, असंवैधानिक तथा अधिकारातीत होने के कारण निरस्त करने की कृपा करे।

10.3 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया इस याचिका को स्वीकार करने की कृपा करें तथा न्यूनतम योग्यता के संबंध में एनसीटीई विनियमन, 2014 के अनुसार केवल बी.एड. धारक अभ्यर्थियों को ही व्याख्याता/हेड मास्टर मिडिल स्कूल (प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) के पद से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होने की अनुमति प्रदान करें।

10.4 यह कि, यह माननीय न्यायालय उत्तरवादीगण को निर्देश देने की कृपा करे कि वे डी.एड./डी.एल.एड. उम्मीदवारों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु व्याख्याता की ग्रेडेशन सूची से बाहर कर दें। यह मानते हुए कि वे उच्च और उच्चतर स्तर के शिक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं, और राज्य सरकार को निर्देश दे कि वह प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति एनसीटीई विनियम 2014 के अनुसार ही प्रदान करे।

10.5 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अन्य अनुतोष प्रदान करने की कृपा करे, जिन्हें माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित और न्यायसंगत समझे, जिसमें याचिकाकर्ता को खर्चा देने का प्रावधान भी शामिल है।"

30) इस न्यायालय ने उपरोक्त याचिका में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए बी.एड. की आवश्यकता 2012 में लागू की गई थी; इससे पहले, अधिकांश शिक्षकों के पास डी.एड. की डिग्री थी।इस नियम को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने से कई पात्र शिक्षकों पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा।अतः, 2019 के नियमों को बरकरार रखा जाता है और याचिका खारिज की जाती है। उपरोक्त निर्णय का सुसंगत अनुच्छेद त्वरित संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"14. उपरोक्त नियमों के अवलोकन से,यह स्पष्ट है कि जहाँ तक व्याख्याता से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति का प्रश्न है,उनके पास बी.एड. की डिग्री होना आवश्यक है, लेकिन प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए डी.एड. की डिग्री आवश्यक होगी।प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए बी.एड डिग्री की अनिवार्यता वर्ष 2012 से लागू हुई।इससे पहले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा पदोन्नति के लिए बी.एड डिग्री उत्तीर्ण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इसलिए, अधिकांश शिक्षकों के पास डी.एड डिग्री थी जो कि बड़ी संख्या में है।यदि चुनौती दिए गए नियमों को अधिकार–बाह्य घोषित कर दिया जाता है, तो यह उन अधिकांश शिक्षकों के साथ अन्याय होगा, जिन्हें डी.एड. डिग्री के आधार पर प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जाना है और इससे डी.एड. डिग्री वाले शिक्षकों में तबाही मच जाएगी।राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा वर्ष 2012 में लाए गए निर्धारित मानदंडों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है, और तदनुसार, नियम, 2019 के जिन प्रावधानों को चुनौती दी गई है, उन्हें अधिकार–बाह्य घोषित नहीं किया जा सकता है।"

31) **राजेश कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (डब्ल्यू.पी.एस. संख्या 5973/2023)** के मामले में, नियम, 2019 की अनुसूची II की प्रविष्टि 18 को अधिकार–बाह्य घोषित करने के लिए चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नियमों को अधिकार–बाह्य घोषित करके तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि वे स्पष्ट रूप से मनमाने हैं या भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।किसी अधिनियम को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि वह मनमाना या अनुचित है।यद्यपि पदोन्नति के अवसर को निहित अधिकार के रूप में

दावा नहीं किया जा सकता, फिर भी बिना किसी भेदभाव के पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है।

32) ये रिट याचिकाएँ छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक और प्रशासनिक) भर्ती और पदोन्नति नियम, 2019 की संवैधानिकवैधता और प्रशासनिक वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रख्यापित किया गया था। याचिकाकर्ताओं, जिनमें मुख्य रूप से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक और व्याख्याता शामिल हैं, ने उक्त नियमों के विभिन्न प्रावधानों पर अन्य बातों के अलावा, स्पष्ट मनमानी, समान अवसर से वंचित करने और पदोन्नति के अवसरों में कथित भेदभाव के आधार पर हमला किया है।
33) सबसे पहले, यह दोहराया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए किसी भी नियम की संवैधानिकता की धारणा होती है।जब तक याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित नहीं कर सकते कि विवादित नियम स्पष्ट मनमानी, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, या विधायी क्षमता की कमी के दोष से ग्रस्त हैं, न्यायिक हस्तक्षेप अनुचित है।न्यायालयों ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि नीतिगत मामले, विशेषकर सेवा नियमों, कैडर संरचना और पदोन्नति मानदंडों से संबंधित मामले, कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और उनमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन न करते हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34) आक्षेपित नियम राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्णनीतिगत पुनर्गठन की पृष्ठभूमि में तैयार किए गए थे, जिसके तहत सभी स्कूलों का प्रबंधन, जो पहले आदिम जाति कल्याण विभाग, नगरीय प्रशासन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जैसे विभिन्न विभागों द्वारा शासित थे, स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन केंद्रीकृत कर दिया गया था।इस निर्णय के अनुसार, उपर्युक्त विभागों के शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल शिक्षा विभाग में समाहित कर दिया गया था।परिणामस्वरूप दो अलग–अलग संवर्ग बनाए गए; एक में स्कूल शिक्षा विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षक ("ई–संवर्ग") और दूसरे में स्थानीय निकायों और अन्य विभागों ("ई (एलबी) संवर्ग") से आमेलित शिक्षक शामिल थे।याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए 2019 के नियमों के तहत शुरू की गई कोटा प्रणाली पर आपत्ति जताई है। पदोन्नति के लिए निर्धारित 90% पदों (शेष 10% सीमित सीधी भर्ती के लिए) में से 65% पद व्याख्याताओं में से भरे जाने हैं, जिनमें से 70% ई–संवर्ग के व्याख्याताओं के लिए और 30% ई(एलबी) संवर्ग के व्याख्याताओं के लिए आरक्षित हैं।याचिकाकर्ताओं ने इस वर्गीकरण और वितरण को भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी है, उनका कहना है कि यह एक संवर्ग को दूसरे पर अनुचित रूप से विशेषाधिकार देता है।हालांकि, इस तरह के कैडर विभेदीकरण, कोटा निर्धारण और पदोन्नति संरचना को एक बड़ी पुनर्गठन नीति के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य अलग–अलग सेवा पृष्ठभूमि, भर्ती प्रक्रियाओं और कार्यात्मक भूमिकाओं वाले अलग–अलग सेवा समूहों के वैध हितों को समायोजित करना है।संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत संरक्षित, उचित वर्गीकरण का सिद्धांत ऐसे विभेदीकरण की अनुमति देता है जब यह एक सुबोध विभेद पर

आधारित हो और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, जैसे कि इस मामले में, संतुलित संवर्ग एकीकरण और कई विभागों से आमेलन के बाद समान पदोन्नति के अवसर, के साथ तर्कसंगत संबंध रखता हो।

35) यह विधि की एक सुस्थापित स्थिति है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति का कोई निहित या लागू करने योग्य अधिकार नहीं है, बल्कि केवल लागू नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है।पदोन्नति के अवसरों में कमी, अपने आप में, किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं है, जब तक कि यह मनमाना या दुर्भावना से प्रेरित न हो, जो कि यहाँ मामला नहीं है।इसके अलावा, न्यायालय ने नोट किया कि प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए बी.एड. जैसी "प्रशिक्षित" योग्यता की आवश्यकता, उस पद से जुड़ी कार्यात्मक और प्रशासनिक ज़िम्मेदारियों पर आधारित है।यह तथ्य कि व्याख्याताओं के लिए ऐसी योग्यता अनिवार्य नहीं है, उनसे अपेक्षित भिन्न शैक्षणिक और विषय विशेषज्ञता पर आधारित है।पात्रता मानदंड में यह अंतर भावी प्रकृति का है, और इसे भेदभावपूर्ण या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता, विशेषकर तब जब यह उन लोगों के लिए हानिकारक न हो जो पहले से ही सेवा में हैं और अन्यथा पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36) यह भी उल्लेख करना उचित है कि इस न्यायालय की खंडपीठ ने पहले ही रिट याचिकाओं के एक समूह में 2019 के नियमों की संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर विचार किया है, जिसमें डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 1243/2020, डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 502/2022 और डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 5973/2023 प्रमुख मामले हैं।उन मामलों में, खंड पीठ ने नियमों की वैधता को यथावत रखा था तथा राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने उन निष्कर्षों पर पुनर्विचार करने या उनसे अलग होने के लिए कोई नया या सम्मोहक आधार प्रस्तुत नहीं किया है।

37) वरिष्ठता और पदोन्नति पात्रता की गणना के उद्देश्य से ई(एलबी) संवर्ग के कर्मचारी के लिए आमेलन की कट-ऑफ तिथि के संबंध में चुनौती फिर से नीतिगत मामला है।राज्य ने समानता सुनिश्चित करने और प्रशासनिक सुविधा के लिए एक समान संदर्भ बिंदु प्रदान करने हेतु तिथि पर विचार करना उचित समझा है। ऐसे निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि यह विकृत या अनुचित न सिद्ध हो जाए, जो इस मामले में नहीं है।इसके अतिरिक्त, गैर-बी.एड. धारकों की कथित पदोन्नति के संबंध में उठाई गई शिकायतें तथ्यात्मक प्रकृति की हैं और श्रवण कुमार प्रधान (सुप्रा) मामले में दिए गए न्यायिक निर्देशों सहित, न्यायिक निर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित हैं।ये विवाद्यक प्रशासनिक जाँच की माँग कर सकते हैं, लेकिन कथित नियमों को पूरी तरह से चुनौती देने का औचित्य नहीं देते है।याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत राहत की माँग नहीं की है, न ही उन्होंने यह दर्शाया है कि चुनौती दिए गए प्रावधान किसी भी बाध्यकारी संवैधानिक मानदंडों के विरुद्ध हैं।

38) अंततः, याचिकाकर्ताओं ने ऐसे किसी भी आधार का उल्लेख नहीं दिया हैजो उनके मामले को **एयर कमोडोर नवीन जैन बनाम भारत संघ, (2019) 10 एससीसी 34** में उल्लिखित सिद्धांतों के दायरे में लाता हो, जो सेवा नियमों की संवैधानिक वैधता के परीक्षण के मानदंडों से संबंधित है, अर्थात् निम्नलिखित:––

"(क) अधीनस्थ कानून बनाने के लिए विधायी क्षमता का अभाव।

(ख) भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।

(ग) भारत के संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया ।

(घ) जिस विधि के तहत इसे बनाया गया है, उसका पालन न करना या सक्षम अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार की सीमाओं का उल्लंघन करना।

(ङ) देश के विधियो, अर्थात्, किसी भी अधिनियम का उल्लंघन।

(च) स्पष्ट मनमानी/अनुचितता (इस हद तक कि न्यायालय यह कह सकती है कि विधायिका का कभी भी ऐसे नियम बनाने का अधिकार देने का आशय नहीं था)।"

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39)पूर्वोक्त चर्चा के आलोक में, और 2019 के नियमों, सुसंगत संवैधानिक प्रावधानों और इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित बाध्यकारी न्यायिक उदाहरणों की सावधानीपूर्वक जाँच के बाद, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक और प्रशासनिक) भर्ती और पदोन्नति नियम, 2019 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार अंतर्विरुद्ध हैं और इनमें मनमानी, भेदभाव या क्षमता की कमी का दोष नहीं है।ई–संवर्ग और ई(एलबी) संवर्ग कर्मचारियों के बीच वर्गीकरण, पदोन्नति कोटा का निर्धारण और उसमें निर्धारित पात्रता मानदंड तर्कसंगत और सुबोध विचारों पर आधारित हैं और पूरी तरह से कार्यकारी नीति के दायरे में आते हैं।संवर्ग प्रबंधन और पदोन्नति संरचना से संबंधित राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।इससे पहले, 2021 के डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 3286 में, संबंधित के साथ

40)**2021 की डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 3432,2021 की डब्ल्यू. पी. एस. संख्या 3437, डब्ल्यू. पी. एस.2021 की सं. 4603 तथा 2021 की डब्ल्यू. पी. एस. सं. 3441,** इस न्यायालय की खंड पीठ ने घोषित किया है कि नियम, 2019 के नियम 15 (1) का स्पष्टीकरण भेदभावपूर्ण है तथा भारत के संविधान के अधिकार से परे है।परिणामस्वरूप, जब तक 2019 के नियमों के नियम 15(1) के तहत एक नया स्पष्टीकरण विधिवत तैयार नहीं किया जाता है, तब तक प्रधानाध्यापक (मध्य विद्यालय) (स्नातकोत्तर) के पद से पदोन्नत व्याख्याताओं की अर्हक सेवा की गणना प्रधानाध्यापक (मध्य विद्यालय) (स्नातकोत्तर) के रूप में उनकी नियुक्ति की तिथि से की जाएगी।चूंकि उपर्युक्त स्पष्टीकरण को पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है, इसलिए राज्य सरकार संवैधानिक अधिदेश के अनुरूप 2019 के नियमों के नियम 15(1) के स्पष्टीकरण में संशोधन करने के लिए विधिक बाध्यता के अधीन है।

41) याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने व्यक्तिगत दावों के संबंध में मांगी गई परमादेश रिट के संबंध में, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर ऐसी अनुतोष प्रदान नहीं की जा सकती है।याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत दावे वर्तमान कार्यवाही के दायरे में नहीं आते है, जिसका मुख्य उद्देश्य उक्त अधिनियम या नियमों की वैधता को चुनौती देना है। यह सर्वविदित है कि ऐसे मामलों में जहाँ किसी विधि या अधीनस्थ विधान की संवैधानिक वैधता प्रश्नगत हो, ऐसी रिट याचिकाओं में व्यक्तिगत दावों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। व्यक्तिगत दावों के संबंध में अनुतोष प्रदान करना अधिनियम या नियमों के असंवैधानिक या शून्य घोषित होने पर निर्भर है; ऐसी स्थिति में, अनुतोष अमान्य होने के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में प्राप्त होगी।अतः,जब तक आक्षेपित अधिनियम या नियमों को अपास्त नहीं कर दिया जाता है, याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत दावों के पक्ष में कोई परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता है।

42) अन्य रिट याचिकाएं हैं **डब्लू पी एस क्रमांक 5217/2019, डब्लू पी एस क्रमांक 9546/2019, डब्लू पी एस. क्रमांक 438/2020,डब्लू पी एस. क्रमांक 1541/2020, डब्लू पी एस. क्रमांक 1718/2021,डब्लू पी एस. क्रमांक 5/2025, डब्लू पी एस क्रमांक 561/2025, डब्लू पी एस. क्रमांक 1302/2025, डब्लू पी एस. क्रमांक 1779/2025, डब्लू पी एस. क्रमांक 2220/2025, डब्ल्यू.पी.एस. क्रमांक 2368/2025 और डब्ल्यू.पी.एस. क्रमांक 4077/2025** खारिज कर दिया जाता है।2019 के नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में कोई सार नहीं पाया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

43) तदनुसार, डब्ल्यू.पी.एस. संख्या 4447/2025 को आंशिक रूप से स्वीकृति दी जाती है।उत्तरवादी – राज्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2019 के नियम 15(1) के तहत स्पष्टीकरण को संशोधित करने का निर्देश दिया जाता है, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2023 को डब्ल्यूपीएस संख्या 3286/2021 (सत्यदेव वर्मा एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश में जारी निर्देशों के अनुसार, साथ ही डब्ल्यूपीएस संख्या 3432/2021, डब्ल्यूपीएस संख्या 3437/2021, डब्ल्यूपीएस संख्या 4603/2021 और डब्ल्यूपीएस संख्या 3441/2021 से जुड़े मामलों में भी।

44) इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2025 के आदेश द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है।पक्षकारो को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।

सही/–
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***